

## THE MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD SERVICE (GAD)

Bhopal, Dated 20th May 1996

No. 8280- In exercise of the powers conferred by sub-section 3 (A) of Section 12 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974), the Madhya Pradesh Pollution Control Board, with the prior approval of the State Government hereby makes the following regulations, namely :-

**1. Short title and Commencement :** These regulations shall be called the Madhya Pradesh Pollution Control Board Service ( Class I and II) (Recruitment and Conditions of service) Regulations 1996. These regulations shall come into force from the date of their publication in "*Madhya Pradesh Rajpatra*".

**2. Definitions :** In these regulations, unless the context otherwise requires-

- (a) " Appointing Authority" means the Chairman of the Madhya Pradesh Pollution Control Board.
- (b) "Service" means the Madhya Pradesh Pollution Control Board (Class I and II) Services.
- (c) " Government" means the Government of Madhya Pradesh.
- (d) " Schedule" means a Schedule appended to these regulations.
- (e) " Scheduled Castes, Scheduled Tribes" shall have the same meaning as assigned to them by clauses (24) and (25) respectively of Article 366 of the Constitution, and means such castes and tribes as are notified as such by the State Government from time to time.
- (f) " Other Backward" Classes means such castes as are specified as backward classes by the Government from time to time barring the " Creamy layer" as defined by Govt. from time to time.
- (g) " Board" Means the Madhya Pradesh Pollution Control Board.

**3. Scope and Application :** Without prejudice to the generality of the Provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service ( General Conditions of Service) Rules, 1961 as hither Co adopted, these regulations shall apply to every member of the service.

**4. Constitutions of the service :** The service shall consist of the following persons namely :-

- (i) Persons who at the commencement of these regulations are holding substantively or in officiating capacity the posts specified in Schedule I.
- (ii) Persons recruited to the service before the commencement of these regulations and

- (iii) Persons to be recruited to the service in accordance with provisions of these regulations.

**5. Classification and scale of pay etc :** The classification of the service and the scale of pay and other benefits attached thereto, the number of posts included in the service shall be as specified in Schedule I.

Provided that the Board may from time to time add to or reduce the number of posts included in the service either on a permanent or temporary basis. Similarly in the matter of scale of pay, if the circumstances so warrant, the Board may make suitable revisions as and when found necessary, in consultation with State Govt.

**6. Method of recruitment :**

(a) Recruitment to the service after the commencement of these regulations, shall be by the following methods, namely :-

1. By direct recruitment by a selection committee constituted by the Board or by conducting competitive examination or by both;
2. By promotion of the Members of the service cadres as in column (2) of Schedule IV; and
3. By re-employment of retired employees as may be required.

(b) The number of persons recruited under item (1) or item (2) as mentioned above shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule II.

(c) Subject to the provisions of these regulations, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority designated under these regulations.

**7. Appointment in the Service :** All appointment in the service after the commencement of these regulations shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in clause 6.

**8. Conditions of eligibility of direct recruits :** In order to be eligible for selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely-

**(1) Age**

- (a) He must have attained the age shown in column (3) of schedule III and have not attained the age shown in column (4) of the said schedule on the first day of January next following the date of commencement of the selection;
- (b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe;

(c) The upper age limit shall be relaxable in respect of candidates who are or have been the employees of Madhya Pradesh Government, the Board or any other Board or a local body constituted under any of the Acts of the Government to the extent and subject to the Conditions specified below :-

(i) A candidate who is a retrenched employee from Government service or service of any Board or Board constituted under any Act of Govt. or Local body, shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of seven years even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation- The term " Retrenched employee" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of this Board for a Continuous period of not less than 6 months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the Employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service or the Board.

(d) A candidate who is an " ex-serviceman" shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him upto a maximum limit of seven years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation- The term " Ex-serviceman" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a Continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any Employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service or the Board.

- (1) Ex-serviceman released under mustering out concessions;
- (2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on :-
  - (a) Completion of short term engagement,
  - (b) Fulfilling the conditions of the enrolment.
- (3) Officers ( Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers);
- (4) Officer discharged after working for more than 6 months continuously against leave vacancies;

- (5) Ex-serviceman invalidated out of service;
- (6) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds etc.
- (e) The upper age limit for widow or divorced female candidate shall be 35 years;
- (f) The Upper age limit shall be relaxable upto 2 years in respect of those candidates who are Green Card Holders under the Family Welfare Programme;
- (g) The general upper age limits shall be relaxed upto 5 years in respect of a Savarna Partner who has been awarded under the intercasts marriage incentive scheme of Tribal, Harijan and backward class welfare Department.
- (h) The upper age limit shall also be relaxed upto 5 years in respect of those candidates who are "Vikram Award" holders;
- (i) The upper age limit shall be relaxable upto 38 years of the age in respect of Madhya Pradesh State Corporation/Board.
- (j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards for the period of service so rendered by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

**Note :-**

(1) Candidates who are admitted to the selection under the age concession mentioned in item (i) of clause (c) above shall not be eligible for appointment, if after submitting the application they resign from parent service either before or after selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

(2) In no other case, shall these age limits be relaxed.

(3) Departmental candidates must obtain previous permission of their appointing authority to appear for the selection.

(2) **Educational qualifications and Experience :** Every Candidate must possess the educational qualifications and experience, if any, prescribed for the service as shown in schedule III provided that (a) in exceptional cases, the Appointing Authority may treat as qualified a candidate who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause has passed the examinations conducted by such institution as may have been recognised by the State Govt. and which in the opinion of the appointing authority may conform the educational qualifications prescribed for the post.

authority qualify him for selection and (b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degree from foreign universities being universities not specifically recognised by the Government may also be considered for selection at the discretion of the appointing authority.

(3). **Fees -** The candidate must pay the fees prescribed by the appointing authority. The candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall exempted from paying such fees.

795

**9. Disqualification :** Any attempt on the part of candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the appointing authority or selection committee if so constituted to disqualify him for selection.

**10. Appointing Authority's decision about the eligibility of the candidates shall be final :** The decision of the appointing authority as to eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the appointing authority shall be interviewed or considered for appointment.

**11. Direct recruitment by selection :**

- (a) Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Board may from time to time determine.
- (b) The procedure of selection by the selection committee will be such as the appointing authority may prescribe from time to time.
- (c) Fifteen, eighteen and fourteen percent of the available vacancies of class I and II services for direct recruitment shall be reserved for candidates who are members of the scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes respectively.
- (d) In filling the vacancies so reserved, the candidates who are members of Scheduled castes, Scheduled tribes and other backward classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in clause 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.
- (e) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward classes by the appointing authority declared suitable for the appointment in the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of scheduled castes, scheduled tribes and backward classes. Sub-clause as the case may be under sub-rule (c) above.
- (f) If sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes having requisite qualification are not available for filling all the vacancies reserved for them the remaining vacancies shall be readvertised (twice) exclusively for these candidates. If even after readvertisement any vacancies remain unfilled, they shall be filled from among the general candidates in consultation with the state Govt. and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward classes as the case may be during the subsequent selections. Provided that the total number of vacancies so reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward classes (including the vacancies carried forward) shall not at any time exceed fifty percent of the total vacancies advertised.

- (g) In the case of direct recruitment, the list of qualified candidates shall be obtained from the Employment Exchanges and also advertised in "Rojgar Tatha Nirman."

#### 12. List of the Candidates recommended by the selection Committee :-

- (a) The selection committee shall forward to the Appointing Authority (i) a list arranged in order of merit of the Candidates who have qualified by such standards as the committee may determine and (ii) a list of such candidates belonging to scheduled castes, scheduled tribes and backward classes who do not come up to the standard adopted by the selection committee but the selection committee feels that they are suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration.
- (b) Subject to the provisions of these regulations and the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rule, 1961 the Candidates shall be Considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.
- (c) The mere inclusion of a candidate's name in the list as referred to in clause 12(a) above confers upon him no right to appointment unless the appointing authority is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.
- (d) The list so prepared by the selection committee shall remain valid for a period of one year from the date of approval of appointing authority or Board which ever is applicable.

#### 13. Appointment by promotion :-

- (a) There shall be constituted a committee consisting of members mentioned in column (5) of Schedule IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.
- (b) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.
- (c) At all such occasions, the selection committee shall be provided with final gradation list of the officers of the cadres and such other information as may be required.
- (d) Fifteen & Eighteen percent of post, in respect of available vacancies for promotion to I and class II in such posts in which the percentage of promotion is 33 - 1/3% or more shall be reserved for candidates belonging the Scheduled Castes, Scheduled Tribes who are eligible for promotion in accordance with the provisions clause 14.
- (e) Procedure for making promotions in the reserved vacancies shall be in accordance with the instructions issued by Government in General Administration Department, from time to time.

#### 14. Conditions of eligibility for promotions :-

- (a) Subject to the provisions of rule (b), the committee shall consider the cases of all persons who on the first day of January of that year had completed not less than such number of years continuous services with requisite educational qualification whether officiating or substantive as specified in column (3) of Schedule IV in the post mentioned in column (2) of the said Schedule-  
Provided further that no junior person shall be considered for selection grade/promotion in preference to the person senior to him merely on the basis of his completing the prescribed service.
- (b) The field of selection shall ordinarily be limited to seven times the number of persons to be

included in the select list in respect of the posts to be filled on the basis of "Merit-cum-seniority" and five times the number of persons to be included in the select list in respect of posts to be filled on the basis of "Seniority-cum-merit."

Provided that if the required number of suitable persons are not available in the field so determined, the field may be enlarged to the extent considered necessary by the committee by mentioning the reasons in writing.

#### 15. Preparation of list of suitable persons :-

- (a) The committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 14 above and as are held by the committee to be suitable for promotion, to the service. The list shall be sufficient to cover the vacancies anticipated to occur on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of twenty five percent of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.
- (b) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects with due regard to seniority.
- (c) The name of the person included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of such select list;

Explanation - A person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity to the list shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

#### 16. Select List :-

- (a) The Select list shall include :-
  1. Record of all persons included in the list and
  2. Record of all such persons proposed to be superseded on the basis of recommendations of the committee.
- (b) Finalisation of the select list - the select list prepared by the committee along with record mentioned above shall be placed before the appointing authority and on approval by him the list shall be the select list for promotion. In case, if in the opinion of the appointing authority, the select list submitted by the departmental promotion committee is not found just and proper, the selectd list shall, in first instace, be placed in board's meeting alongwith the opinion of the appointing authority and decision of the Board thereon shall be final. The list so prepared after the decision of the Board shall be final and effective for implementation.
- (c) The selection list shall ordinarily be in force until is reviewed or revised- but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its approval.  
Provided that in the event of grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Member Secretary of the Board and if the appointing authority so directs remove the name of such person from the select list. The action so taken in this regard shall be placed before the State Board for its information.
- (d) If, any person, expresses in writting, his inability to avail of the opportunity of his promotioin, so offered he shall not be considered for the promotion for a period of three years from the date of such orders of promotion.

**17. Appointment to the Service from the Select list :-**

Appointment of the persons included in the select list to the posts borns on the cadre of service shall follow the same order in which the names of such persons appear in the selection list.

**18. Probation :-** Every person directly recruited to the service shall be appointed on a probation for a period of one year provided there exists clear vacancy, otherwise all appointments shall be made temporarily until further orders.**19. Re-employment of retired persons :-**

If, in opinion of the appointing authority, appointment of some retired person to any special post is felt necessary in the larger interest of the services of the Board, such appointment shall be made by selecting an officer/servant retired from Government Services or Services of the Board for a period which shall not be more than a period of four years from the age superanuation.

**20. Other conditions of service :-**

In the matter of general conditions of service, conduct and discipline, the following rules of the Govt. as applicable from time to time shall mutatis-mutandis apply to every member of service :-

- (1) M. P. Civil Service (General Conditions of service) Rules 1961;
  - (2) M.P. Civil Services (Conduct) Rule 1965; and
  - (3) M.P. Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 with the modification that every appeal against the order of the Appointing Authority shall be before the State Govt. H and E, who may, after considering the report of the Committee, specifically appointed by him to examine the case, take a decision which shall be final. The Committee may consist of Three officers including one Senior Officer of Baord.
- Similarly, in the matter of scales of pay, pay fixation, dearness allowance, leave and age of superanuation as applicable to the Govt. Servants from time to time shall apply to every member of service.

**21. Interpretation :** If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to the Board and the decision of the Board thereon shall be final.**22. Relaxation :** Nothing in these regulations shall be construed to limit or abridge the powers of the State Board to deal with the case of any person to whom these regulation apply in such manner as may appear to it to be just and equitable, provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these regulations.**23. Savings :** Nothing in these regulations shall affect reservation and other concessions required to be provided for the members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward classes in accordance with the orders issued by the State Government in this respect from time to time.**24. Repeal :** All provisions corresponding to the provisions made in these regulations in water (Prevention and Control of Pollution) Madhya Pradesh Rule 1975 and other executive instructions issued by the Board in this behalf as in force before the commencement of these regulations are hereby repealed.  
Provided that any order or action taken under the rules so corresponding, shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these regulations.



**SCHEDULE-I**

(Vide clause 5)

S.No.	Post included in the service	Total No. of Posts	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4	5

**I. ENGINEERING SERVICES**

1.	Chief Engineer (Environment)	1	Class-I	4500-150-5700
2.	Superintending Engineer (Environment)	4	Class-I	3700-125-4700-150-5000
3.	Executive Engineer (Environment)	16	Class-I	3000-100-3500-125-4500
4.	Asstt. Engineer (Environment)	34	Class-II	2200-75-2800-100-4000

**II. SCIENTIFIC SERVICES**

1.	Chief Scientific Officer	1	Class-I	4500-150-5700
2.	Sr. Scientific Officer	4	Class-I	3700-125-4700-150-5000
3.	Chief Chemist	10	Class-I	3000-100-3500-125-4500
4.	Scientist	32	Class-II	2200-75-2800-100-4000
5.	Environmental Geological Scientist	1	Class-II	2200-75-2800-100-4000

**III. ADMINISTRATIVE & ACCOUNT SERVICES**

1.	Finance Officer	1	Class-I	3000-100-3500-125-4500
2.	Section Officer	6	Class-II	2200-75-2800-100-4000
3.	Stenographer Gr. I.	2	Class-II	2200-75-2800-100-4000

767

1	2	3	4	5
<b><u>IV. PUBLIC RELATION &amp; ACCOUNTS SERVICES</u></b>				
1.	Librarian	1	Class-II	2200-75-2800-100-4000
2.	Social & Environmental Surveyer	1	Class-II	2200-75-2800-100-4000
<b><u>V. LEGAL SERVICES</u></b>				
1.	Legal Advisor	1	Class-I	A reputed practitioner to be engaged on contract basis.
2.	Assistant Law Officer	1	Class-II	2200-75-2800-100-4000
<b><u>VI. COMPUTER SERVICES</u></b>				
1.	Computer Programmer/Operator	4	Class-II	2200-75-2800-100-4000

Note :- Solitary post will be given to time Scale as per Govt. Rule.

Note :- In the matter of city compensatory allowances, re-imbursement of medical expenses, travelling allowances, Contributory Provident Fund, H.R.A. ex-gratia Payment, Pension these shall be regulated as per decision of the Board.

#### **SCHEDULE-II**

(Vide clause 6 [b])

S.No.	Name of the Service/Post	Class	Total No. of Posts	Percentage of number of posts to be filled in	
				By Direct recruitment Bye-law-6(a)(i)	By Promotion of permanent /Temporary member of the Service Bye-law-6(a) (ii)
1	2	3	4	5	6

#### **I. ENGINEERING SERVICES**

1.	Chief Engineer (Environment)	Class-I	1	--	100 %
----	------------------------------	---------	---	----	-------

1	2	3	4	5	6
2.	Superintending Engineer (Environment)	Class-I	4	--	100%
3.	Executive Engineer (Environment)	Class-I	16	--	100%
4.	Asstt. Engineer (Environment)	Class-II	34	--	80% from Junior Engineer's cadre, 15% from the cadre of Sub-Engineers, 5% from the cadre of Head Draftsman/ Draftsman.

### II. SCIENTIFIC SERVICES

1.	Chief Scientific Officer	Class-I	1	--	100%
2.	Sr. Scientific Officer	Class-I	4	--	100%
3.	Chief Chemist	Class-I	10	--	100%
4.	Scientist	Class-II	32	--	100% from the cadre of Junior Scientist
5.	Environmental Geological Scientist	Class-II	1	100%	--

### III. ADMINISTRATIVE & ACCOUNT SERVICES

1.	Finance Officer	Class-I	1	--	100%
2.	Section Officer	Class-II	6	--	100%
3.	Stenographer Gr. I.	Class-II	2	--	100%

### IV. PUBLIC RELATION & STATISTICAL SERVICES

1.	Librarian	Class-II	1	100%	--
2.	Social and Environmental Surveyer	Class-II	1	100%	--

### V. LEGAL SERVICES

1.	Asstt. Law Officer	Class-II	1	--	100%
----	--------------------	----------	---	----	------

1	2	3	4	5	6
<b><u>VI. COMPUTER SERVICES</u></b>					
1.	Computer Programmer/Operator	Class-II	4	—	75% Posting from the cadre of Assistant Engineer [Environment] and Scientist. 25% posting from data assistant Gr.-I

**SCHEDULE-III**

(Vide clause 8)

S.No.	Name of Post	Mini mum Age (In Years)	Upper Age	Educational Qualification /Experience if any required	Constitution of the Selection Committee
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Social Environmental Surveyer.	21	30	Post Graduate degree in Anthropology from recognised University and at least three years experience in survey of data collection and reporting in health	1. Member Secretary of the Pollution Control Board-Chairman. 2. C.E. of the P. H. E. Deptt. of the State Government-Member. 3. Deputy Secretary of Govt. in the Administrative Deptt.-Member. 4. An Officer of the Board incharge of Administration-Convenor.

With the permission of the Chairman subject specialist could be co-opted as a member.

2.	Librarian	21	30	Graduate with Bechelor Degree in Library Science and 5 years service experience as a Librarian in a reputed Library.	-do-
3.	Environmental Geological Scientist	21	30	M.Sc. (Geology)/M.Tech. From recognised University and Diploma in Environmental Gelogy from recognised Institution.	-do-

**SCHEDULE-IV**  
(See clause 6 and 14 )

S.No.	Name of the Post which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Experience & Quali- fication required	Name of the Member the Promotion Committee
1	2	3	4	5

**ENGINEERING SERVICES**

1.	Superintending Engineer (Class-I)	Chief Engineer (Class-I)	5 year continuous service as Superintending Engineer	1. Member Secretary of the Pollution Control Board. -Chairman. 2. C.E. of the PHE Deptt. of
----	--------------------------------------	-----------------------------	--	--

799

1	2	3	4	5
				the State Government. -Member.
				3. Dy. Secretary of the Govt. in the Administration Deptt. -Member.
				4. An Officer of the Board incharge of administration. (With the permission of Chair- man a Subject specialist could be Co-opted as a Member)
2.	Executive Engineer (Class-I)	Superintending Engineer (Class-I)	Post Graduate Degree in Engineering and 5 years continuous service as Executive Engineer.	-do-
3.	Asstt. Engineer (Class-II)	Executive Engineer (Class-I)	5 years continuous service as Asstt. Engineer (Env.) with post graduate Degree in Environmental Engineering	-do-
4.	Junior Engineer/Sub Engineer (Class-III)	Asstt. Engineer (Class-II)	(a) For Junior Engineer, 3 Years continuous service as Junior Engineer, with Degree in Civil/Chemical/ Environmental Engineering. (b) 2 years continuous service with post Graduate Degree in	1. Member Secretary M.P. Pollution Control Board. -Chairman. 2. Chief Engineer/Chief Scie- ntific Officer. -Member. 3. Superintending Engineer

		Environmental Engineering.	-Member.
		(c) 12 years continuous service as sub-Engineer (Diploma Holder) and 8 years continuous service as sub-Engineer for Degree Holder.	4. An Officer of Board incharge of administration -Convenor. ( with the permission of Chairman A subject Specialist could be Co-opted as a Member.)
2.	Head Draftsman/Draftsman ( Class-III)	Asstt. Engineer (Class-II)	12 Years continuous service as Head Draftsman/Draftsman 8 years service for draftsman who are Degree Holders or who obtained Degree by the length of Service.
			-do-
3.	<u>II. SCIENTIFIC SERVICES</u>		
1.	Senior Scientific Officer (Class-I)	Chief Scientific Officer (Class-I)	5 years continuous service as Senior Scientific Officer
			As in Engg. Service.
2.	Chief Chemist (Class-I)	Senior Scientific Officer (Class-I)	5 years continuous service as Chief Chemist
			-do-
3.	Scientist (Class-II)	Chief Chemist (Class-I)	5 Years experience as Scientist
			-do-
4.	Junior Scientist (Class-III)	Scientist (Class-II)	1. M.Sc. Post Graduate Degree & three years continuous
			As above.

४००

1	2	3	4	5
			service on the post of Junior Scientist.	As above
			2. B. Sc. Degree & Six years Continuous service as Junior Scientist.	
<b><u>III. ADMINISTRATIVE &amp; ACCOUNTS SERVICES</u></b>				
1.	Section Officer (Class-II)	Finance Officer	5 years continuous service as Section Officer	-do-
2.	Superintendent	Section Officer	5 years continuous service as Superintendent.	-do-
3.	Stenographer Gr. II	Stenographer Gr. I	5 years continuous service as Stenographer Gr. II	-do-
<b><u>IV. LEGAL SERVICES</u></b>				
1.	Legal Assistant Gr. I	Asstt. Law Officer	5 years service on the post of legal Assistant Gr. I	-do-
<b><u>COMPUTER SERVICES</u></b>				
1.	Data Assistant Gr. I	Computer Programmer/ Operator	5 years service on the post of Data Assistant Gr. I	-do-



भोपाल, दिनांक 20 मई, 1996

क्र. 8280 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 (क्रमांक 6/1974) की धारा 12 की उप धारा 3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है. अर्थात् :-

(1) संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

यह विनियम मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) (भरती तथा सेवा शर्तें) विनियम 1996 कहलायेंगे. यह विनियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे.

(2) परिभाषाएं :-

इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से तात्पर्य अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से है.
- (ख) "सेवा से तात्पर्य, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ( प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी) सेवा से है.
- (ग) "शासन से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन,
- (घ) "अनुसूची से तात्पर्य इन विनियमों से संलग्न सूची से है.
- (ङ) "अनुसूचित जातियों" तथा "अनुसूचित जनजातियों" का वही अर्थ होगा जो उनके लिए संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड 24 और (25) में क्रमशः दिया गया है तथा उससे तात्पर्य ऐसी जातियों तथा जन-जातियों से होगा जो शासन द्वारा समय-समय पर इस रूप में अधिसूचित की जाये.
- (च) "अन्य पिछड़े वर्ग" से तात्पर्य ऐसी जातियों से हैं जिन्हें शासन समय-समय पर इस रूप में अधिसूचित करें. इन जातियों में से अपवाद होंगे, जिन्हें शासन द्वारा समय-समय पर "क्रीमी लेयर" परिभाषित किया जायें.
- (छ) "बोर्ड से तात्पर्य है, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.

(3) विस्तार तथा प्रयुक्ति :

अभी तक अपनाये गये मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिये उपबंधों को बोर्ड की सेवाओं पर यथा स्थिति लागू होने की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये विनियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

(4) सेवा का गठन :

सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् :-

- (एक) वे व्यक्ति जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पद मूलतः अथवा स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हो,
- (दो) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भरती किये हो, और
- (तीन) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार, सेवा में भरती किये जायेंगे.

(5) वर्गीकरण तथा वेतनमान :

सेवा का वर्गीकरण, उनसे संबद्ध वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी,

भोपाल, दिनांक 20 मई, 1996

क्र. 8280 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 (क्रमांक 6/1974) की धारा 12 की उप धारा 3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है. अर्थात :-

**(1) संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :**

यह विनियम मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) (भरती तथा सेवा शर्तें) विनियम 1996 कहलायेंगे. यह विनियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे.

**(2) परिभाषाएं :-**

इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से तात्पर्य अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से है.
- (ख) "सेवा से तात्पर्य, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ( प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी) सेवा से है.
- (ग) "शासन से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन,
- (घ) "अनुसूची से तात्पर्य इन विनियमों से संलग्न सूची से है.
- (ङ) "अनुसूचित जातियों " तथा "अनुसूचित जनजातियों" का वही अर्थ होगा जो उनके लिए संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड 24 और (25) में क्रमशः दिया गया है तथा उससे तात्पर्य ऐसी जातियों तथा जन-जातियों से होगा जो शासन द्वारा समय-समय पर इस रूप में अधिसूचित की जाये.
- (च) " अन्य पिछड़े वर्ग" से तात्पर्य ऐसी जातियों से हैं जिन्हें शासन समय-समय पर इस रूप में अधिसूचित करें. इन जातियों में से अपवाद होंगे, जिन्हें शासन द्वारा समय-समय पर "क्रीमी लेयर" परिभाषित किया जायें.
- (छ) "बोर्ड से तात्पर्य है, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.

**(3) विस्तार तथा प्रयुक्ति :**

अभी तक अपनाये गये मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिये उपबंधों को बोर्ड की सेवाओं पर यथा स्थिति लागू होने की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये विनियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

**(4) सेवा का गठन :**

सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात :-

- (एक) वे व्यक्ति जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पद मूलतः अथवा स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हो,
- (दो) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भरती किये हो, और
- (तीन) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार, सेवा में भरती किये जायेंगे.

**(5) वर्गीकरण तथा वेतनमान :**

सेवा का वर्गीकरण, उनसे संबद्ध वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी,

परन्तु बोर्ड समय-समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में स्थाई या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगा। इसी प्रकार वेतनमान एवं अन्य सुविधाओं के मामले में, यदि परिस्थितियों की यह आवश्यकता हो तो राज्य शासन की सहमति से बोर्ड वेतनमान भी संशोधित कर सकेगा।

**(6) भरती का तरीका :**

(क) इन विनियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जावेगी अर्थात् :-

1. बोर्ड द्वारा गठित चयन समिति द्वारा, साक्षात्कार द्वारा अथवा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर अथवा दोनों के द्वारा भरती द्वारा,
2. अनुसूची चार के स्तम्भ (2) के अनुसार सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा, और
3. आवश्यकतानुसार सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति द्वारा

(ख) उप विनियम (वर्ग के खण्ड (1) तथा (2) के अधीन भरती किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी समय अनुसूची दो में उल्लिखित पदों के प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ग) इन विनियमों के उपबंधों के अध्याधीन भरती किसी विशिष्ट अवधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा की किसी भी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाए जाने वाला भरती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर इन विनियमों के अन्तर्गत उल्लिखित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निश्चित की जावेगी।

**(7) सेवा में नियुक्ति :**

इन विनियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जावेगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति विनियम 6 में विनिर्दिष्ट भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके से चयन करने के पश्चात् ही की जावेगी अन्यथा नहीं।

**(8) सीधी भरती की पात्रता की शर्तें :**

चयन किए जाने के लिए पात्र होने की दृष्टि से उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी अर्थात् :-

(1) आयु :-

- (क) उसने चयन के प्रारंभ होने की तारीख की आगामी पहली जनवरी को अनुसूची तीन के कालम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, किन्तु उसने उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।
- (ख) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का हो, तो आयु की उच्चतम सीमा में से अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की शिथिलता दी जायेगी।
- (ग) ऐसे उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश शासन के इस बोर्ड के अथवा किसी अधिनियम के अन्तर्गत गठित बोर्ड या स्वायत्तशासी संस्था के कर्मचारी हो या रह चुके हो, निम्नलिखित सीमा तक तथा शर्त के अध्याधीन रहते हुए शिथिलता दी जावेगी।

सीधी भरती के उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश शासन, इस बोर्ड अथवा किसी बोर्ड या स्वायत्त शासी संस्थाओं से छूटनी किए गए हों उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अवधि अधिक से अधिक 7 वर्ष की अवधि भले ही यह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवा के कारण हो कम करने की अनुमति दी जावेगी, बशर्त कि इसके फलस्वरूप जो आयु निकले यह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण :-**

“छूटनी किए गए कर्मचारी” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य की शासकीय सेवा अथवा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की

अस्थायी सेवा में कम से कम 3 माह की निरन्तर कालावधि तक रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीसन कराने अथवा मण्डल में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

- (घ) ऐसे उम्मीदवार जो "भूतपूर्व सैनिक" हो, उसे अपने आयु में उसके द्वारा पूर्व में की गई अधिकतम सात वर्ष की प्रतिरक्षा सेवा भले ही यह एक से अधिक मौकों की हो की कालावधि कम करने की अनुमति दी जावेगी बशर्ते की परिणामी आयु अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

#### स्पष्टीकरण :-

पद "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक का प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की निरन्तर कालावधि तक नियोजित रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा या बोर्ड की सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष से पूर्व मितव्ययता इकाई की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप या स्थापना में प्रसामान्य कमी किये जाने के कारण छटनी कर दी गई थी या जिसे अधिशिष्ट (सरप्लस) घोषित कर दिया था :-

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो समय पूर्व सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कंसेशन) के अधीन नियुक्त किया गया है,
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिसे दुबारा भरती किया गया है तथा जिसे (क) अल्पावधि कार्य पूर्ण हो जाने पर, (ख) भरती की शर्तों को पूर्ण कर लेने पर सेवा मुक्त कर दिया गया है,
- (3) अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सहित ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा सिविल) जिन्हें उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवामुक्त किया गया है,
- (4) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य पर लेने के पश्चात् सेवा मुक्त किया गया है,
- (5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया है,
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने, घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया है,
- (च) विधवा या तलाक शुदा महिला उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी.
- (छ) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत (ग्रीन कार्ड) धारण करने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिल की जावेगी.
- (ज) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत ऐसे सवर्ण पार्टनर के लिए, जिन्हें पुस्कृत किया गया है, अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जायेगी.
- (झ) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित उम्मीदवार के मामले में भी अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जायेगी.
- (ट) ऐसे उम्मीदवारों के संबंध में जो मध्यप्रदेश निगमों/बोर्डों के कर्मचारी हैं, अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिल की जायेगी.
- (ठ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों (वालंटीयर होम गार्ड्स) तथा नगर सैनिकों के नाम कमीशनड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिए 8 वर्ष तक की सीमा के अधीन रहते हुए, शिथिल की जायेगी. किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

#### टिप्पणी :-

- (1) उन उम्मीदवारों की जिन्हें उपर्युक्त खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) में वर्णित आयु में रियायत के अधीन चयन के लिए ग्राह्य किया

गया है, उस स्थिति में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी यदि वे आवेदन करने के पश्चात् या तो चयन किए जाने के पूर्व या पश्चात् मूल सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् मूल सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छटनी की दी जाये तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य दशा में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएगी।

(3) विभागीय उम्मीदवारों को किसी पद के लिए आवेदन करने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राय करनी होगी।

## (2) शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव :-

प्रत्येक उम्मीदवार के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं और जहां कहीं दर्शित हो अनुभव भी होना चाहिए जो कि अनसूची-तीन में दर्शाई गई है :-

(क) आपवादिक मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी किसी ऐसे उम्मीदवार को चयन समिति/बोर्ड की सिफारिश पर अर्हता मान सकेगा, जो यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई नहीं रखता है, किन्तु जिसने किन्हीं अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की है, जो राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो तथा नियुक्ति अधिकारी के मत से आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं के समतुल्य हो जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उम्मीदवार चयन के लिये अर्हता रखता हो, और

(ख) ऐसे उम्मीदवार के जो अन्यथा अर्ह हैं, किन्तु जिन्होंने ऐसी विदेशी विश्वविद्यालयों से, जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई है, उपाधध्यां प्राप्त की है, चयन के लिए भी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विवेकानुसार विचार किया जा सकेगा।

## (3) शुल्क :-

उम्मीदवार को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। अनुसूचित जाति जनजातियों के उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान करने से छूट होगी।

## (9) अनर्हता :-

उम्मीदवारों की ओर से अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी साधन से समर्थन अभिप्राय करने के किसी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी और यदि चयन समिति गठित हो तो चयन समिति उस उम्मीदवार को चयन के लिए अनर्ह मान सकेगी।

## (10) नियुक्ति प्राधिकारी को उम्मीदवारों की पात्रता के संबंध में विनिश्चय अंतिम होना :-

प्रश्न करने के लिए उम्मीदवार की पात्रता अथवा अपात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी उम्मीदवार को जिसे नियुक्ति, प्राधिकारी द्वारा परीक्षामें प्रवेश के लिए सर्टिफिकेट न दिया गया हो उसे न साक्षात्कार किया जावेगा और न ही उसकी नियुक्ति पर विचार।

## (11) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भरती :-

(क) सेवा में भरती के लिए चयन ऐसे अन्तरालों में किया जायेगा जैसा कि बोर्ड समय-समय पर अवधारित करें,

(ख) चयन समिति द्वारा चयन की प्रक्रिया ऐसे आदेशों के अनुसार संचालित की जावेगी जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर जारी करें।

(ग) सीधी भरती के लिए उपलब्ध रिक्तियों के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की सेवा में पदों के क्रमशः पन्द्रह प्रतिशत, अठारह प्रतिशत तथा चौदह प्रतिशत उन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के सदस्य हों।

- (ग) सीधी भरती के लिए उपलब्ध रिक्तियों के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की सेवा में पदों के क्रमशः पन्द्रह प्रतिशत, अठारह प्रतिशत तथा चौदह प्रतिशत उन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के सदस्य हों।
- (घ) इस प्रकार आरक्षित स्थानों को भरते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जावेगा, जिस क्रम में उनके नाम विनियम 12 में विनिर्दिष्ट सूची में आते हों, चाहे अन्य उम्मीदवार की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान कुछ भी क्यों न हो।
- (ङ) ऐसे उम्मीदवारों को जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़ी जातियों के हो और जिन्हें नियुक्त प्राधिकारी या प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो, उप विनियम (ग) के अधीन यथा स्थिति अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों या पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्त किया जा सकेगा।
- (च) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों या पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिये आवश्यक अर्हता के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो समस्त या किसी भी रिक्त को केवल ऐसे उम्मीदवारों के लिए दो बार पुनर्विज्ञापित किया जावेगा। यदि ऐसे पुनर्विज्ञापित के पश्चात भी समस्त या उसमें से कोई रिक्ति भरी न जा सके तो ऐसी रिक्तियों साधारण श्रेणी के उम्मीदवारों से राज्य शासन की सहमति से भरी जा सकेगी पर चयन के दौरान यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों या पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों के लिए उतनी ही संख्या में अतिरिक्त स्थान रक्षित रखे जायेंगे।
- परन्तु अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों या पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों की कुल संख्या अग्रनीत (केरोफारवर्ड) रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए विज्ञापित की गई कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगा।
- (छ) सीधी भरती के लिए अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की सूची रोजगार कार्यालय से प्राप्त की जावेगी तथा ऐसी रिक्तियाँ "म. प्र. रोजगार तथा निर्माण" में विज्ञापित कराई जावेगी।

#### (12) चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये उम्मीदवारों की सूची :-

- (क) चयन समिति नियुक्ति प्राधिकारी को (1) अपने द्वारा निश्चित किए गए मानकों के अनुसार उम्मीदवारों की योग्यता क्रम बनाई गई सूची तथा (2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के उन उम्मीदवारों की सूची जो यद्यपि चयन समिति द्वारा चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड के न होने पर जिन्हें चयन समिति द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो।
- (ख) इन विनियमों तथा म. प्र. शासन के म. प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के उपबंधों के अध्ययन उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के बारे में उसी क्रम में विचार किया जावेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।
- (ग) जब तक नियुक्ति प्राधिकारी का उसके द्वारा उम्मीदवार के पूर्व वृत्त के संबंध में आवश्यक समझी जाने वाली जांच पड़ताल से समाधान न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है, तब तक उप विनियम 12 (क) में उल्लेखित सूची में केवल उम्मीदवार का नाम शामिल होने से ही उसे नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल सकेगा।
- (घ) चयन समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची नियुक्ति कर्ता अधिकारी या बोर्ड के अंतिम अनुमोदन की दिनांक से एक वर्ष

की कालावधि तक के लिये विधिमान्य रहेगी.

(13) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :-

- (क) योग्य उम्मीदवारों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक पदोन्नति समिति गठित की जायेगी, जिसमें अनुसूची चार के कॉलम-4 में उल्लेखित सदस्य होंगे.
- (ख) पदोन्नति समिति की बैठक ऐसे अन्तरावधियों पर होगी जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो.
- (ग) पदोन्नति समिति को प्रत्येक अवसर पर संवर्ग में सेवा के सभी सदस्यों की अंतिम वरिष्ठता सूची तथा समिति द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध की जायेगी.
- (घ) उन पदों में से जिसमें पदोन्नति की प्रक्रिया 33-1/2 से अधिक है, पदोन्नति के लिए प्राप्त रिक्तियों का श्रेणी एक एवं दो की सेवाओं का क्रमशः 15 प्रतिशत एवं 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए विनियम 14 के उपबन्धों के अनुसार पदोन्नति के लिए पात्र हैं, आरक्षित रखा जायेगा.
- (ङ) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने के लिए प्रक्रिया शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार होगी.

(14) पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें :-

- (क) उप विनियम (ख) के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए सम्मिलित उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने वर्ष की एक जनवरी को इतने वर्षों की सेवा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सहित (चाहे वह स्थानापन्न या मूल हैसियत में हो चालू प्रभार की अवधि को छोड़कर) जो अनुसूची चार के कालम (3) में विनिर्दिष्ट की गई है, अनुसूची चार में कालम (2) में वर्णित पद पर पूरी की ली थी.
  - (ख) परन्तु यह और भी कि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को उससे वरिष्ठ व्यक्ति पर अधिमानता देकर पदोन्नति के लिए केवल इस आधार पर विचार नहीं किया जाएगा कि उसने विहित सेवा पूर्ण कर ली है.
  - (ग) "योग्यता एवं वरिष्ठता" के आधार चयन के लिए विचारार्थ क्षेत्र चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या से सामान्यतः सात गुना तथा "वरिष्ठता एवं योग्यता" के आधार पर चयन के लिए विचार क्षेत्र सूची में सम्मिलित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या का पाँच गुना होगा.
- परन्तु- इस प्रकार अवधारित किए गए क्षेत्र में अपेक्षित संख्या में व्यक्ति उपलब्ध न हो तो समिति उस सीमा का जहां तक वह आवश्यक समझे विस्तार के कारण लिपिबद्ध कर बढ़ा सकेगी.

(15) उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करना :-

- (क) समिति ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी जो विनियम 14 में निहित की गई शर्तों को पूरा करते हो और जो सेवा में पदोन्नति के लिए समिति द्वारा उपयुक्त ठहराये गए हो. चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाले पूर्वमानित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी. उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली भविष्य दशा रिक्तियों को भरने के लिए एक आरक्षित सूची भी तैयार की जायेगी जिसमें चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या पच्चीस प्रतिशत व्यक्ति होंगे.

- (ख) ऐसी सूची में समावेश करने के लिए चयन जब तक अन्यथा निर्देशित न हो वरिष्ठता का सम्यक ध्यान रखते हुए गुण दोष पर तथा सब प्रकार की उपयुक्तता पर आधारित होगा।
- (ग) सूची में सम्मिलित किए गए नाम प्रत्येक चयन सूची तैयार करते समय प्रत्येक श्रेणी (जैसा कि अनुसूची चार के कालम (2) में हो) वरिष्ठता क्रम में रखे जायेंगे।

**स्पष्टीकरण :-**

कोई भी व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो किन्तु सूची के तैयार की जानी की तारीख से एक वर्ष के दौरान पदोन्नति नहीं दिया गया हो एक मात्र तथ्य से कि उसका चयन पूर्व का है उन व्यक्तियों के ऊपर जिनका कि पश्चातवर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का दावा नहीं करेगा।

**(16) चयन सूची :-**

- (क) पदोन्नति समिति की चयन सूची में-

- (1) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख, और
- (2) ऐसे सभी व्यक्तियों के अभिलेख जिनको समिति की सिफारिश के आधार पर अधिक्रमित करना प्रस्तावित हो, सम्मिलित होंगे।

- (ख) चयन सूची को अंतिम रूप दिया जाना-समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची पर ऊपर वर्णित रिकार्ड के साथ बोर्ड के अध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत की जावेगी और उनके अनुमोदन के पश्चात वह सूची पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी। यदि बोर्ड के अध्यक्ष की राय में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रस्तुत चयन सूची न्यायोचित तथ्य उपयुक्त नहीं है तो पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की गई सूची बोर्ड के अध्यक्ष की राय के साथ प्रथम अवसर पर बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत होगी और बोर्ड के निर्णय अंतिम होंगे तथा बोर्ड के निर्णय के अनुसार तैयार की गई चयन सूची प्रभावशील होगी।

- (ग) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि-

पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण न किया जाय, किन्तु उसकी विधि मान्यता उसके अनुमोदित होने की तारीख से अठारह माह की कुल कालावधि से परे नहीं बढ़ाई जाएगी, परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्यों के पालन या निर्वाह में गंभीर चूक होने की स्थिति में बोर्ड के सदस्य सचिव की पहल पर चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन हो सकेगा और यदि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसा आदेश दे तो संबंधित व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटाया जा सकेगा। इस प्रकार की गई कार्यवाही की जानकारी राज्य बोर्ड के सूचनार्थ प्रस्तुत की जावेगी।

- (घ) यदि कोई व्यक्ति किन्हीं कारणों से अपनी पदोन्नति का लाभ उठाने से असमर्थता व्यक्त करता है तो उसे पदोन्नति आदेश में लिखित से तीन वर्ष तक पदोन्नति के लिए विचार में नहीं लिया जावेगा।

**(17) चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :-**

चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की केडर के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम में की जावेगी जिस क्रम में उनके नाम अनुमोदित चयन सूची में हैं।

**(18) परिवीक्षा :-**



सेवा में भरती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा बशर्ते कि स्पष्ट रिक्तियां हो अन्यथा सभी नियुक्तियां अस्थायी रूप में आगामी आदेशों तक की जावेगी.

**( 19 ) सेवा निवृत्त व्यक्तियों की पुनर्नियुक्ति :-**

यदि नियुक्ति प्राधिकारी की रय में पद विशेष पर अनुभवी व्यक्तियों की सेवाएं बोर्ड के व्यापक हित में हैं, तो वे शासकीय सेवा से सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों या बोर्ड की सेवाओं से सेवानिवृत्त किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को पुनर्नियुक्त कर सकेंगे पर ऐसी पुनर्नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिवार्षिकी आयु से चार वर्ष की कालावधि से अधिक के लिए नहीं होगी.

**( 20 ) सेवा की अन्य शर्तें :-**

सेवा की सामान्य शर्तें, आचारण एवं अनुशासन के संबंधमें शासन के निम्न नियम जैसे कि समय-समय पर प्रभावी हो, सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे :-

- (1) मध्यप्रदेशसिविल सेवा (जनरल कंडीशंस आफ सर्विस) रूल्स 1961
- (2) मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (कन्डक्ट) रूल्स, 1965 और
- (3) मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (क्लासिफिकेशन, कन्ट्रोल एण्ड अपील) रूल्स, 1966 इस संशोधन के साथ कि नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील राज्य शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सम्मुख हो सकेगी जो प्रकरण पर विचार हेतु बनाई समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय लेंगे जो अंतिम होगा. यह समिति तीन अधिकारियों की हो सकेगी. जिनमें से एक बोर्ड का वरिष्ठ अधिकारी होगा. इसी तरह वेतनमान, वेतन निर्धारण, मंहगाई भत्ते, अवकाश तथा अधिवार्षिकी के मामलों में समय-समय पर शासकीय सेवकों को प्रभावी आदेश सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

**( 21 ) निर्वहन :-**

यदि इन विनियमों के निर्वहन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाएगा और इस पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा.

**( 22 ) छूट :-**

इन विनियमों की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा. कि यह ऐसे व्यक्ति के मामले में जिनको यह विनियम लागू होते हैं, राज्य बोर्ड की ऐसे रीति से कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है, जो उसके उचित व न्याय संगत प्रतीत हो परन्तु मामले पर कार्यवाही किसी ऐसी रीति से नहीं की जावेगी जो कि इन विनियमों में उपबंधित रीति को अपेक्ष उसके लिए कम अनुकूल हो.

**( 23 ) व्यावृत्ति :-**

इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लिए राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायतों के लिए उपबंध किए जाने को प्रभावित नहीं करेगी.

**( 24 ) निरसन एवं व्याप्ति :-**

इस विनियम के जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) मध्यप्रदेश नियम 1975में सम्मिलित तत्स्थली समस्त नियम तथा बोर्ड द्वारा लागू तत्संबंधी प्रशासनिक आदेश जो कि इन विनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व लागू थे. इस विनियम के प्रभावशील होने पर निरस्त किए जाते हैं. परन्तु इस प्रकार निरसित किये नियमों तथा आदेश के अधीन की गई कार्यवाही इन विनियमोंके उपबंधों के अधीन की गई कार्यवाही मानी जावेगी.

अनुसूची-एक

नियम-5 देखिये

सेवा में वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपये)
1	2	3	4	5
<b>यांत्रिकी सेवायें</b>				
1.	मुख्य यंत्री (पर्यावरण)	1	प्रथम श्रेणी	4500-150-5700
2.	अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण)	4	प्रथम श्रेणी	3700-125-4700-150-5000
3.	कार्यपालन यंत्री (पर्यावरण)	16	प्रथम श्रेणी	3000-100-3500-125-4500
4.	सहायक यंत्री (पर्यावरण)	34	द्वितीय श्रेणी	2200-75-2800-100-4000
<b>वैज्ञानिक सेवायें</b>				
1.	मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	4500-150-5700
2.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	4	प्रथम श्रेणी	3700-125-4700-150-5000
3.	मुख्य रसायनज्ञ	10	प्रथम श्रेणी	3000-100-3500-125-4500
4.	वैज्ञानिक	32	द्वितीय श्रेणी	2200-75-2800-100-4000
5.	पर्यावरण भू-वैज्ञानिक	1	द्वितीय श्रेणी	2200-75-2800-100-4000
<b>प्रशासन एवं लेखा</b>				
1.	वित्त अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	3000-100-3500-125-4500
2.	अनुभाग अधिकारी	6	द्वितीय श्रेणी	2200-75-2800-100-4000
3.	शोधलेखक ग्रेड-1	2	द्वितीय श्रेणी	2200-75-2800-100-4000
<b>जनसंपर्क सेवायें</b>				
1.	लाइब्रेरियन	1	द्वितीय श्रेणी	2200-75-2800-100-4000
2.	सामाजिक पर्यावरण सर्वेक्षक	1	द्वितीय श्रेणी	2200-75-2800-100-4000
<b>विधिक सेवायें</b>				
1.	विधि सलाहकार	1	प्रथम श्रेणी	प्रतिष्ठित अधिवक्ता की सेवायें अनुबंध के आधार पर ली जाएंगी
2.	सहायक विधि अधिकारी	1	द्वितीय श्रेणी	2200-75-2800-100-4000

1	2	3	4	5
<b>कम्प्यूटर सेवा</b>				
1.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर/आपरेटर	4	द्वितीय श्रेणी	2200-75-2800-100-4000
नोट :-	एकांगी पदों का वेतनमान शासन के नियमानुसार क्रमोन्नत वेतनमान होगा.			
नोट :-	नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, यात्रा भत्ता, मकान किराया भत्ता, अंशदायी भविष्य निधि, अनुग्रह भुगतान, पेंशन के मामले में बोर्ड के निर्णय के अनुसार कार्यवाही होगी.			
<b>नियम-6 देखिये</b>				
क्रमांक	सेवा का नाम	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के अस्थायी स्थानान्तरण द्वारा (नियम देखिये)
		सीधी भरती द्वारा नियम देखिये	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम देखिये	
1	2	3	4	5

**यांत्रिकी सेवायें**

1.	मुख्ययंत्री (पर्यावरण)	--	100 %
2.	अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण)	--	100 %
3.	कार्यपालन यंत्री (पर्यावरण)	--	100 %
4.	सहायक यंत्री (पर्यावरण)	--	80 % कनिष्ठ यंत्री पद से 15 % उपयंत्री पद से 5 % मुख्य मानचित्रकार/ मानचित्रकार पद से

**वैज्ञानिक सेवायें**

1.	मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी	--	100 %
2.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	--	100 %
3.	मुख्य रसायनज्ञ	--	100 %
4.	वैज्ञानिक	--	100 % कनिष्ठ पर्या. वैज्ञानिक के पद से
5.	पर्यावरण भू-वैज्ञानिक	100 %	--

1	2	3	4	5
2.	कार्यपालन यंत्री (पर्यावरण) (प्रथम श्रेणी)	अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण) (प्रथम श्रेणी)	कार्यपालन यंत्री (पर्यावरण) पद पर 5 वर्ष की लगातार नियमित सेवा के साथ अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि	--तदैव--
3.	सहायक यंत्री (पर्यावरण) (द्वितीय श्रेणी)	कार्यपालन यंत्री (पर्यावरण) (प्रथम श्रेणी)	सहायक यंत्री (पर्यावरण) पद पर 5 वर्ष की लगातार नियमित सेवा के साथ पर्यावरण अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि	--तदैव--
4.	कनिष्ठ यंत्री / उपयंत्री (पर्यावरण) (तृतीय श्रेणी)	सहायक यंत्री (द्वितीय श्रेणी)	<p>(अ) सिविल/केमीकल/पर्यावरण अभियांत्रिकी में बी.ई. उपाधि के साथ कनिष्ठ यंत्री पद पर 3 वर्ष की लगातार नियमित सेवा</p> <p>(ब) पर्यावरण अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ कनिष्ठ यंत्री पद पर 2 वर्ष की लगातार नियमित सेवा</p> <p>(स) सिविल अभियांत्रिकी में पत्रोपाधि के साथ उपयंत्री पद पर 12 वर्ष की लगातार सेवा अथवा सिविल अभियांत्रिकी में उपाधि के साथ उपयंत्री के पद पर 8 वर्ष की लगातार नियमित सेवा</p>	<p>(1) सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष</p> <p>(2) मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सदस्य</p> <p>(3) अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण) सदस्य</p> <p>(4) बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी संयोजक</p> <p>अध्यक्ष की अनुमति से विषय विशेषज्ञ भी सदस्य की हैसियत से बुलाये जा सकते हैं.</p>
	मुख्य मानचित्रकार/मानचित्रकार	सहायक यंत्री (पर्यावरण)	मुख्य मानचित्रकार एवं मानचित्रकार पद पर 12वर्ष की लगातार सेवा के दौरान बी. ई. डिग्री प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिये उपरोक्त पद पर 8 वर्ष की लगातार नियमित सेवा	--तदैव--
	<u>वैज्ञानिक सेवाये</u>			
1.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर 5 वर्ष की लगातार नियमित सेवा	अभियांत्रिकी सेवाओं के समान

1	2	3	4	5
2.	मुख्य रसायनज्ञ (प्रथम श्रेणी)	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	मुख्य रसायनज्ञ के पद पर 5 वर्ष की लगातार नियमित सेवा	
3.	वैज्ञानिक (द्वितीय श्रेणी)	मुख्य रसायनज्ञ (प्रथम श्रेणी)	वैज्ञानिक पद पर 5 वर्ष की लगातार नियमित सेवा	तदेव
4.	कनिष्ठ वैज्ञानिक (तृतीय श्रेणी)	वैज्ञानिक (द्वितीय श्रेणी)	1. एम. एस. सी. उपाधि के साथ कनिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा 2. बी. एस. सी. उपाधि के साथ कनिष्ठ वैज्ञानिक पद पर 6 वर्ष की लगातार नियमित सेवा	तदेव
<b>प्रशासनिक एवं स्टेनोग्राफर सेवाएँ</b>				
1.	अनुभाग अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	चित्त अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	अनुभाग अधिकारी के पद पर 5 वर्ष की लगातार नियमित सेवा	तदेव
2.	अधीक्षक (तृतीय श्रेणी)	अनुभाग अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	अधीक्षक पद पर 5 वर्ष की लगातार नियमित सेवा	तदेव
3.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 (तृतीय श्रेणी)	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 (द्वितीय श्रेणी)	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 पद पर 5 वर्ष की लगातार नियमित सेवा	तदेव
<b>विधि सेवाएँ</b>				
1.	विधि सहायक ग्रेड-1 (तृतीय श्रेणी)	सहायक विधि अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	विधि सहायक ग्रेड-1 के पद पर 5 वर्ष की लगातार नियमित सेवा	तदेव
<b>कम्प्यूटर सेवा</b>				
1.	डाटा सहायक ग्रेड-1	कम्प्यूटर प्रोग्रामर/ (द्वितीय श्रेणी)	डाटा सहायक ग्रेड-1 के पद पर 5 वर्ष की लगातार नियमित सेवा	तदेव

## THE MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Bhopal, Dated 20th May 1996

No. 8281- In exercise of the powers conferred by sub-section 3 (A) of Section 12 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 ( No. 6 of 1974), the Madhya Pradesh Pollution Control Board, with the prior approval of the State Government hereby makes the following regulations, namely :-

**1. Short title and Commencement :** These regulations shall be called the Madhya Pradesh Pollution Control Board Service ( Class III) (Recruitment and Conditions of service) Regulations 1996. These regulations shall come into force from the date of their publication in "*Madhya Pradesh Rajpatra*".

**2. Definitions :** In these regulations, unless the context otherwise requires-

- (a) " Appointing Authority" means the Member Secretary of the Madhya Pradesh Pollution Control Board.
- (b) "Service" means the Madhya Pradesh Pollution Control Board (Class III) Services.
- (c) " Government" means the Government of Madhya Pradesh.
- (d) " Schedule" means a Schedule appended to these regulations.
- (e) " Scheduled Castes, Scheduled Tribes" shall have the same meaning as assigned to them by clauses (24) and (25) respectively of Article 366 of the Constitution, and means such castes and tribes as are notified as such by the State Government from time to time.
- (f) " Other Backward" Classes means such castes as are specified as backward classes by the Government from time to time barring the " Creamy layer " as defined by Govt. from time to time.
- (g) " Board" Means the Madhya Pradesh Pollution Control Board.

**3. Scope and Application :** Without prejudice to the generality of the Provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service ( General Conditions of Service) Rules 1961 as hitherto adopted, these regulations shall apply to every member of the service.

**4. Constitutions of the service :** The service shall consist of the following persons namely :-

- (i) Persons who at the commencement of these regulations are holding substantively or in officiating capacity the posts specified in Schedule I.
- (ii) Persons recruited to the service before the commencement of these regulations and

- (iii) Persons to be recruited to the service in accordance with provisions of these regulations.

**5. Classification and scale of pay etc :** The classification of the service and the scale of pay and other benefits attached thereto, the number of posts included in the service shall be as specified in Schedule I.

Provided that the Board may from time to time add to or reduce the number of posts included in the service either on a permanent or temporary basis. Similarly in the matter of scale of pay, if the circumstances so warrant, the Board may make suitable revisions as and when found necessary, in consultation with State Govt.

**6. Method of recruitment :**

- (a) Recruitment to the service after the commencement of these regulations, shall be by the following methods, namely :-
1. By direct recruitment by a selection committee constituted by the Board or by conducting competitive examination or by both;
  2. By promotion of the Members of the service cadres as in column (2) of Schedule IV; and
  3. By re-employment of retired employees as may be required.
- (b) The number of persons recruited under item (1) or item (2) as mentioned above shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule II.
- (c) Subject to the provisions of these regulations, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority designated under these regulations.

**7. Appointment in the Service :** All appointment in the service after the commencement of these regulations shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in clause 6.

**8. Conditions of eligibility of direct recruits :** In order to be eligible for selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely-

**(1) Age**

- (a) He must have attained the age shown in column (3) of schedule III and have not attained the age shown in column (4) of the said schedule on the first day of January next following the date of commencement of the selection;
- (b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe;

- (c) The upper age limit shall be relaxable in respect of candidates who are or have been the employees of Madhya Pradesh Government, the Board or any other Board or a local body constituted under any of the Acts of the Government to the extent and subject to the Conditions specified below :-

- (i) A candidate who is a retrenched employee from Government service or service of any Board or Board constituted under any Act of Govt. or Local body, shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of seven years even if it represent more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation- The term " Retrenched employee" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of this Board for a Continuous period of not less than 6 months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the Employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service or the Board.

- (d) A candidate who is an " ex-serviceman" shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him upto a maximum limit of seven years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation- The term " Ex-serviceman" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a Continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any Employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service or the Board.

- (1) Ex-serviceman released under mustering out concessions;
- (2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on :-
  - (a) Completion of short term engagement,
  - (b) Fulfilling the conditions of the enrolment.
- (3) Officers ( Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers);
- (4) Officer discharged after working for more than 6 months continuously against leave vacancies;



- (5) Ex-serviceman invalidated out of service;
- (6) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds etc.
- (e) The upper age limit for widow or divorced female candidate shall be 35 years;
- (f) The Upper age limit shall be relaxable upto 2 years in respect of those candidates who are Green Card Holders under the Family Welfare Programme;
- (g) The general upper age limits shall be relaxed upto 5 years in respect of a Savarna Partner who has been awarded under the intercasts marriage incentive scheme of Tribal, Harijan and backward class welfare Department.
- (h) The upper age limit shall also be relaxed upto 5 years in respect of those candidates who are "Vikram Award" holders;
- (i) The upper age limit shall be relaxable upto 38 years of the age in respect of Madhya Pradesh State Corporation/Board.
- (j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards for the period of service so rendered by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

**Note :-**

- (1) Candidates who are admitted to the selection under the age concession mentioned in item (i) of clause (c) above shall not be eligible for appointment, if after submitting the application they resign from parent service either before or after selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.
- (2) In no other case, shall these age limits be relaxed.
- (3) Departmental candidates must obtain previous permission of their appointing authority to appear for the selection.
- (2) **Educational qualifications and Experience :** Every Candidate must possess the educational qualifications and experience, if any, prescribed for the service as shown in schedule III provided that
  - (a) in exceptional cases, the Appointing Authority may treat as qualified a candidate who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause has passed the examinations conducted by such institution as may have been recognised by the State Govt. and which in the opinion of the appointing authority may conform the educational qualifications prescribed for the post.
  - authority qualify him for selection and (b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degree from foreign universities being universities not specifically recognised by the Government may also be considered for selection at the discretion of the appointing authority.
- (3). **Fees -** The candidate must pay the fees prescribed by the appointing authority. The candidates belonging to scheduled castes and Scheduled Tribes shall exempted from paying such fees.

**9. Disqualification :** Any attempt on the part of candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the appointing authority or selection committee if so constituted to disqualify him for selection.

**10. Appointing Authority's decision about the eligibility of the candidates shall be final :** The decision of the appointing authority as to eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the appointing authority shall be interviewed or considered for appointment.

**11. Direct recruitment by selection :**

- (a) Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Board may from time to time determine.
- (b) The procedure of selection by the selection committee will be such as the appointing authority may prescribe from time to time.
- (c) Sixteen, Twenty and fourteen percent of the available vacancies of class III services for direct recruitment shall be reserved for candidates who are members of the scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes respectively.
- (d) In filling the vacancies so reserved, the candidates who are members of Scheduled castes, Scheduled tribes and other backward classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in clause 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.
- (e) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward classes by the appointing authority declared suitable for the appointment in the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of scheduled castes, scheduled tribes and backward classes. Sub-clause as the case may be under sub-rule (c) above.
- (f) If sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes having requisite qualification are not available for filling all the vacancies reserved for them the remaining vacancies shall be readvertised (twice) exclusively for these candidates. If even after readvertisement any vacancies remain unfilled, they shall be filled from among the general candidates in consultation with the state Govt. and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward classes as the case may be during the subsequent selections. Provided that the total number of vacancies so reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward classes (including the vacancies carried forward) shall not at any time exceed fifty percent of the total vacancies advertised.

- (g) In the case of direct recruitment, the list of qualified candidates shall be obtained from the Employment Exchanges and also advertised in "Rojgar Tatha Nirman."

#### 12. List of the Candidates recommended by the selection Committee :-

- (a) The selection committee shall forward to the Appointing Authority (i) a list arranged in order of merit of the Candidates who have qualified by such standards as the committee may determine and (ii) a list of such candidates belonging to scheduled castes, scheduled tribes and backward classes who do not come up to the standard adopted by the selection committee but the selection committee feels that they are suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration.
- (b) Subject to the provisions of these regulations and the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rule, 1961 the Candidates shall be Considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.
- (c) The mere inclusion of a candidate's name in the list as referred to in clause 12(a) above confers upon him no right to appointment unless the appointing authority is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.
- (d) The list so prepared by the selection committee shall remain valid for a period of one year from the date of approval of appointing authority or Board which ever is applicable.

#### 13. Appointment by promotion :-

- (a) There shall be constituted a committee consisting of members mentioned in column (5) of Schedule IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.
- (b) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.
- (c) At all such occasions, the selection committee shall be provided with final gradation list of the officers of the cadres and such other information as may be required.
- (d) Sixteen & Twenty percent of post, in respect of available vacancies for promotion to - class III. in such posts in which the percentage of promotion is 33 -1/3% or more shall be reserved for candidates belonging the Scheduled Castes, Scheduled Tribes who are eligible for promotion in accordance with the provisions clause 14.
- (e) Procedure for making promotions in the reserved vacancies shall be in accordance with the instructions issued by Government in General Administration Department, from time to time.

#### 14. Conditions of eligibility for promotions :-

- (a) Subject to the provisions of rule (b), the committee shall consider the cases of all persons who on the first day of January of that year had completed not less than such number of years continuous services with requisite educational qualification whether officiating or substantive as specified in column (3) of Schedule IV in the post mentioned in column (2) of the said Schedule-  
Provided further that no junior person shall be considered for selection grade/promotion in preference to the person senior to him merely on the basis of his completing the prescribed service.
- (b) The field of selection shall ordinarily be limited to seven times the number of persons to be

included in the select list in respect of the posts to be filled on the basis of "Merit-cum-seniority" and five times the number of persons to be included in the select list in respect of posts to be filled on the basis of "Seniority-cum-merit."

Provided that if the required number of suitable persons are not available in the field so determined, the field may be enlarged to the extent considered necessary by the committee by mentioning the reasons in writing.

#### 15. Preparation of list of suitable persons :-

- (a) The committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 14 above and as are held by the committee to be suitable for promotion, to the service. The list shall be sufficient to cover the vacancies anticipated to occur on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of twenty five percent of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.
- (b) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects with due regard to seniority.
- (c) The name of the person included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of such select list:

Explanation - A person whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity to the list shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

#### 16. Select List :-

- (a) The Select list shall include :-
  1. Record of all persons included in the list and
  2. Record of all such persons proposed to be superseded on the basis of recommendations of the committee.
- (b) Finalisation of the select list - the select list prepared by the committee along with record mentioned above shall be placed before the Chairman of the Board and on approval by him the list shall be the select list for promotion. In case, if in the opinion of the Chairman of the Board the select list submitted by the departmental promotion committee is not found just and proper, the select list shall, in first instance, be placed in board's meeting along with the opinion of the Chairman of the Board and decision of the Board thereon shall be final. The list so prepared after the decision of the Board shall be final and effective for implementation.
- (c) The selection list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised- but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its approval. Provided that in the event of grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Member Secretary of the Board and if the appointing authority so directs remove the name of such person from the select list. The action so taken in this regard shall be placed before the State Board for its information.
- (d) If, any person, expresses in writing, his inability to avail of the opportunity of his promotion, so offered he shall not be considered for the promotion for a period of three years from the date of such orders of promotion.

**17. Appointment to the Service from the Select list :-**

Appointment of the persons included in the select list to the posts borne on the cadre of service shall follow the same order in which the names of such persons appear in the selection list.

**18. Probation :-** Every person directly recruited to the service shall be appointed on a probation for a period of one year provided there exists clear vacancy, otherwise all appointments shall be made temporarily until further orders.

**19. Re-employment of retired persons :-**

If, in opinion of the appointing authority, appointment of some retired person to any special post is felt necessary in the larger interest of the services of the Board, such appointment shall be made by selecting an officer/servant retired from Government Services or Services of the Board for a period which shall not be more than a period of four years from the age superannuation.

**20. Other conditions of service :-**

In the matter of general conditions of service, conduct and discipline, the following rules of the Govt. as applicable from time to time shall mutatis-mutandis apply to every member of service :-

- (1) M. P. Civil Service (General Conditions of service) Rules 1961;
- (2) M.P. Civil Services (Conduct) Rule 1965; and
- (3) M.P. Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 with the modification that every appeal against the order of the Appointing Authority shall be before the State Govt. H and E, who may, after considering the report of the Committee, specifically appointed by him to examine the case, take a decision which shall be final. The Committee may consist of Three officers including one Senior Officer of Board.

Similarly, in the matter of scales of pay, pay fixation, dearness allowance, leave and age of superannuation as applicable to the Govt. Servants from time to time shall apply to every member of service.

**21. Interpretation :** If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to the Board and the decision of the Board thereon shall be final.

**23. Relaxation :** Nothing in these regulations shall be construed to limit or abridge the powers of the State Board to deal with the case of any person to whom these regulation apply in such manner as may appear to it to be just and equitable, provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these regulations.

**23. Savings :** Nothing in these regulations shall affect reservation and other concessions required to be provided for the members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward classes in accordance with the orders issued by the State Government in this respect from time to time.

**24. Repeal :** All provisions corresponding to the provisions made in these regulations in water (Prevention and Control of Pollution) Madhya Pradesh Rule 1975 and other executive instructions issued by the Board in this behalf as in force before the commencement of these regulations are hereby repealed.  
Provided that any order or action taken under the rules so corresponding, shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these regulations.

**SCHEDULE - I**

(See Clause 5)

S. No.	Post included in the service	Total No. of Posts	Classification	Scale of pay
1	2	3	4	5
<b><u>I. ENGINEERING SERVICES.</u></b>				
1.	Junior Engineer	27	Class-III	2000-60-2300-75-3200-100-3500
2.	Head Draftsman	1	Class-III	1600-50-2300-60-2720+Rs. 75/- Special Pay
3.	Sub-Engineer	5	Class-III	1600-50-2300-60-2720
4.	Draftsman	3	Class-III	1600-50-2300-60-2720+Rs.25/- Special Pay
5.	Assistant Draftsman	6	Class-III	1200-40-1440-50-2040
6.	Tracer	11	Class-III	950-25-1000-30-1210-40-1530
<b><u>II. SCIENTIFIC SERVICES.</u></b>				
1.	Junior Scientist/Operator Assistant	20	Class-III	2000-60-2300-75-3200-100-3500
2.	Chemist	75	Class-III	1400-40-1440-50-2340-60-2640
3.	Laboratory Asstt. Grade-I	19	Class-III	1200-40-50-2040
4.	Laboratory Asstt. Grade-II/Sampler	21	Class-III	950-25-1000-30-1210-40-1530
<b><u>III. ADMINISTRATIVE &amp; ACCOUNTS SERVICES</u></b>				
1.	Superintendents/Sr. Accountant	10	Class-III	1640-60-2600-75-2900
2.	Asstt. Superintendent/Accountant/Auditor	18	Class-III	1400-40-1440-50-2340-60-2640
3.	Upper Division Clerk/Account Clerk	29	Class-III	1150-30-1210-40-1450-50-1800
4.	Stenographer Grade II	5	Class-III	1640-60-2600-75-2900
5.	Stenographer Grade-III	18	Class-III	1400-40-1440-50-2340-60-2640
6.	Steno-Typist		Class-III	950-25-1000-30-1210-40-1530 +Rs. 40/- special Pay
	Lower Division Clerk/Typist/Telephone Operator.	58	Class-III	950-25-1000-30-1210-40-1530
7.	Mechanic	1	Class-III	1150-30-1210-40-1450-50-1800

1	2	3	4	5
8.	Vehicle Driver	34	Class-III	950-25-1000-30-1210-40-1530
9.	Supervisor Grade-I.	1	Class-III	1150-30-1210-40-1450-50-1800
10.	Supervisor Grade-II	1	Class-III	950-25-1000-30-1210-40-1530
11.	Electrician	1	Class-III	950-25-1000-30-1210-40-1530
12.	Agriculture Assistant	1	Class-III	1400-40-1440-50-2340-60-2640
<b><u>IV. PUBLIC RELATION &amp; STATISTICAL SERVICES</u></b>				
1.	Publicity Assistant	2	Class-III	1400-40-1440-50-2340-60-2640
<b><u>V. LEGAL SERVICES</u></b>				
1.	Legal Assistant Gr. I	1	Class-III	1640-60-2600-75-2900
2.	Legal Assistant Gr. II	1	Class-III	1400-40-1440-50-2340-60-2640
<b><u>VI. COMPUTER SERVICES</u></b>				
1.	Data Assistant Grade- I	2	Class-III	1640-60-2000-75-2900
2.	Data Assistant Grade-II	2	Class-III	1400-40-1440-50-2340-60-2640
3.	Data Entry Operator	2	Class-III	1150-30-1210-40-1450-50-1800

Note (i) Salitary post will be given to time scale as per Govt. rule.

Note (ii) In the matter of city Compensatory allowances, re-imbursement of medical expenses, travelling allowances, contributory provident fund, H.R.A. ex-gratia payment-pension these shall be regulated as per decisions of the Board.

**SCHEDULE - II**  
**[See Clause 6 (b)]**

S. No.	Name of the Service/Post	Class	Total No. of Post	Percentage of number of posts to be filled in	
				By Direct recruitment	By promotion of permanent Temporary member of the Service
1	2	3	4	5	6
<b><u>ENGINEERING SERVICES</u></b>					
1.	Junior Engineer	Class-III	27	100%	

1	2	3	4	5	6
2.	Head Draftsman	Class-III	1	-	100%
3.	Sub Engineer	Class-III	5	100%	-
4.	Draftsman	Class-III	3	-	100%
5.	Asstt. Draftsman	Class-III	6	50%	50%
6.	Tracer	Class-III	11	100%	-
<b><u>II. SCIENTIFIC SERVICES</u></b>					
1.	Junior Scientist/Operator Assistant	Class-III	20	-	100%
2.	Chemist	Class-III	75	75%	25%
3.	Laboratory Assistant Gr. I	Class-III	19	50%	50%
4.	Laboratory Assistant Grade-II/Sampler	Class-III	21	75%	25%
<b><u>III. ADMINISTRATIVE &amp; ACCOUNTS SERVICES</u></b>					
1.	Superintendent/Sr. Accountant	Class-III	10	-	100%
2.	Asstt. Superintendent/Accountant	Class-III	18	-	100%
3.	Upper Division Clerk/Accounts Clerk	Class-III	29	-	100%
4.	Stenographer Grade-II	Class-III	5	-	100%
5.	Stenographer Grade-III	Class-III	18	75%	25%
6.	Steno-Typist/Lower Division Clerk/ Typist/ Telephone Operator.	Class-III	58	80%	20%
7.	Mechanic	Class-III	1	-	100%
8.	Vehicle Driver	Class-III	34	100%	-
9.	Supervisor Grade-I	Class-III	1	-	100%
10.	Supervisor Grade-II	Class-III	1	-	100%
11.	Electrician	Class-III	1	100%	-
12.	Agriculture Assistant	Class-III	1	100%	-
<b><u>IV. PUBLIC RELATION SERVICES</u></b>					
1.	Publicity Assistant	Class-III	2	100%	-



<b><u>V. LEGAL SERVICES</u></b>					
1.	Legal Assistant Grade-I	Class-III	1	-	100%
2.	Legal Assistant Grade-II	Class-III	1	100%	-
<b><u>VI. COMPUTER OPERATION SERVICES</u></b>					
1.	Data Asstt. Grade-I	Class-III	2	-	100%
2.	Data Asstt. Grade-II	Class-III	2	-	100%
3.	Data Entry Operator	Class-III	2	100%	-

**SCHEDULE -III**  
(See Clause -8)

S. No.	Name of Service/Post	Minimum Age limit	Upper Age limit	Educational Qualification prescribed	Name of the Member of Department Selection Committee
1	2	3	4	5	6
<b><u>I. ENGINEERING SERVICES</u></b>					
1.	Junior Engineer	18 Years	30 Years	Graduate in Civil/Chemical /Env. Engineering from a recognise Institute.	1. Member Secretary, M.P. Pollution Control Board -Chairman 2. Chief Engineer/ Chief Scientific Officer -Member 3. Superintending Engineer -Member 4. Officer incharge of Administration of the Board. -Convenor. The Committee may coopt any expert if deemed necessary.

भोपाल, दिनांक 20 मई, 1996

क्र. 8281 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 (क्रमांक 6/1974) की धारा 12 की उप धारा 3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है. अर्थात् :-

(1) संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

यह विनियम मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भरती तथा-सेवा शर्तें) विनियम 1996 कहलायेंगे. यह विनियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे.

(2) परिभाषा :-

इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से तात्पर्य सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से है.
- (ख) "सेवा से तात्पर्य, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ( तृतीय श्रेणी) सेवा से है.
- (ग) "शासन से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन,
- (घ) "अनुसूची से तात्पर्य इन विनियमों से संलग्न सूची से है.
- (ङ) "अनुसूचित जातियों " तथा "अनुसूचित जनजातियों" का वही अर्थ होगा जो उनके लिए संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड 24 और (25) में क्रमशः दिया गया है तथा उससे तात्पर्य ऐसी जातियों तथा जन-जातियों से होगा जो शासन द्वारा समय-समय पर इस रूप में अधिसूचित की जाये.
- (च) " अन्य पिछड़े वर्ग" से तात्पर्य ऐसी जातियों से हैं जिन्हें शासन समय-समय पर इस रूप में अधिसूचित करें. इन जातियों में से अपवाद होंगे, जिन्हें शासन द्वारा समय-समय पर "क्रीमी लेयर" परिभाषित किया जायें.
- (छ) "बोर्ड से तात्पर्य है, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.

(3) विस्तार तथा प्रयुक्ति :

अभी तक अपनाये गये मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिये उपबंधों को बोर्ड की सेवाओं पर यथा स्थिति लागू होने की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये विनियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

(4) सेवा का गठन :

सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् :-

- (एक) वे व्यक्ति जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पद मूलतः अथवा स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हो,
- (दो) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भरती किये हो, और
- (तीन) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार, सेवा में भरती किये जायेंगे.

(5) वर्गीकरण तथा वेतनमान :

सेवा का वर्गीकरण, उनसे संबद्ध वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी,

परन्तु बोर्ड समय-समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में स्थाई या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगा। इसी प्रकार वेतनमान एवं अन्य सुविधाओं के मामले में, यदि परिस्थितियों की यह आवश्यकता हो तो राज्य शासन की सहमति से बोर्ड वेतनमान भी संशोधित कर सकेगा।

#### (6) भरती का तरीका :

(क) इन विनियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जावेगी अर्थात् :-

1. बोर्ड द्वारा गठित चयन समिति द्वारा, साक्षात्कार द्वारा अथवा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर अथवा दोनों के द्वारा भरती द्वारा,
2. अनुसूची चार के स्तम्भ (2) के अनुसार सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा, और
3. आवश्यकतानुसार सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति द्वारा

(ख) उप विनियम (वर्ग के खण्ड (1) तथा (2) के अधीन भरती किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी समय अनुसूची दो में उल्लेखित पदों के प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ग) इन विनियमों के उपबंधों के अध्ययन भरती किसी विशिष्ट अवधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा की किसी भी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाए जाने वाला भरती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर इन विनियमों के अन्तर्गत उल्लेखित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निश्चित की जावेगी।

#### (7) सेवा में नियुक्ति :

इन विनियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जावेगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति विनियम 6 में विनिर्दिष्ट भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके से चयन करने के पश्चात् ही की जावेगी अन्यथा नहीं।

#### (8) सीधी भरती की पात्रता की शर्तें :

चयन किए जाने के लिए पात्र होने की दृष्टि से उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी अर्थात् :-

(1) आयु :-

(क) उसने चयन के प्रारंभ होने की तारीख की आगामी पहली जनवरी को अनुसूची तीन के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, किन्तु उसने उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का हो, तो आयु की उच्चतम सीमा में से अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की शिथिलता दी जायेगी।

(ग) ऐसे उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश शासन के इस बोर्ड के अथवा किसी अधिनियम के अन्तर्गत गठित बोर्ड या स्वायत्तशासी संस्था के कर्मचारी हो या रह चुके हो, निम्नलिखित सीमा तक तथा शर्त के अधीन रहते हुए शिथिलता दी जावेगी।

सीधी भरती के उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश शासन, इस बोर्ड अथवा किसी बोर्ड या स्वायत्त शासी संस्थाओं से छूटनी किए गए हों उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अवधि अधिक से अधिक 7 वर्ष की अवधि भले ही यह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवा के कारण हो कम करने की अनुमति दी जावेगी, बशर्ते कि इसके फलस्वरूप जो आयु निकले यह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :-

“छूटनी किए गए कर्मचारी” से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य की शासकीय सेवा अथवा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की

अस्थायी सेवा में कम से कम 3 माह की निरन्तर कालावधि तक रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीसन कराने अथवा मण्डल में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

- (घ) ऐसे उम्मीदवार जो "भूतपूर्व सैनिक" हो, उसे अपने आयु में उसके द्वारा पूर्व में की गई अधिकतम सात वर्ष की प्रतिरक्षा सेवा भले ही यह एक से अधिक मौकों की हो की कालावधि कम करने की अनुमति दी जावेगी बशर्त की परिणामी आयु अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

#### स्पष्टीकरण :-

पद "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक का प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की निरन्तर कालावधि तक नियोजित रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा या बोर्ड की सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष से पूर्व मितव्ययता इकाई की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप या स्थापना में प्रसामान्य कमी किये जाने के कारण छटनी कर दी गई थी या जिसे अधिशिष्ट (सरप्लस) घोषित कर दिया था :-

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो समय पूर्व सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कंसेशन) के अधीन नियुक्त किया गया है,
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिसे दुबारा भरती किया गया है तथा जिसे (क) अल्पावधि कार्य पूर्ण हो जाने पर, (ख) भरती की शर्तों को पूर्ण कर लेने पर सेवा मुक्त कर दिया गया है,
- (3) अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सहित ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा सिविल) जिन्हें उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवामुक्त किया गया है,
- (4) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य पर लेने के पश्चात् सेवा मुक्त किया गया है,
- (5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया है,
- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने, घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया है।
- (च) विधवा या तलाक शुदा महिला उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।
- (छ) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत (ग्रीन कार्ड) धारण करने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिल की जावेगी।
- (ज) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत ऐसे सवर्ण पार्टनर के लिए, जिन्हें पुस्कृत किया गया है, अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जायेगी।
- (झ) विक्रम पुरुस्कार से सम्मानित उम्मीदवार के मामले में भी अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जायेगी।
- (ट) ऐसे उम्मीदवारों के संबंध में जो मध्यप्रदेश निगमों/बोर्डों के कर्मचारी हैं, अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिल की जायेगी।
- (ठ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों (वालंटीयर होम गार्ड्स) तथा नगर सैनिकों के नाम कमीशन अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिए 8 वर्ष त की क सीमा के अधीन रहते हुए शिथिल की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

#### टिप्पणी :-

- (1) उन उम्मीदवारों की जिन्हें उपर्युक्त खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) में वर्णित आयु में रियायत के अधीन चयन के लिए ग्राह्य किया

गया है, उस स्थिति में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी यदि वे आवेदन करने के पश्चात् या तो चयन किए जाने के पूर्व या पश्चात मूल सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् मूल सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छटनी की दी जाये तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे.

(2) किसी भी अन्य दशा में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएगी.

(3) विभागीय उम्मीदवारों को किसी पद के लिए आवेदन करने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी.

## (2) शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव :-

प्रत्येक उम्मीदवार के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं और जहां कहीं दर्शित हो अनुभव भी होना चाहिए जो कि अनसूची तीन में दर्शाई गई है :-

(क) आपवादिक मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी किसी ऐसे उम्मीदवार को चयन समिति/बोर्ड की सिफारिश पर अर्हता मान सकेगा, जो यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई नहीं रखता है, किन्तु जिसने किन्हीं अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएँ ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हैं, जो राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो तथा नियुक्ति अधिकारी के मत से आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं के समतुल्य हो जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उम्मीदवार चयन के लिये अर्हता रखता हो, और

(ख) ऐसे उम्मीदवार के जो अन्यथा अर्ह है, किन्तु जिन्होंने ऐसी विदेशी विश्वविद्यालयों से, जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई है, उपाह्वयं प्राप्त की है, चयन के लिए भी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विवेकानुसार विचार किया जा सकेगा.

## (3) शुल्क :-

उम्मीदवार को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा. अनुसूचित जाति जनजातियों के उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान करने से छूट होगी.

## (9) अनर्हता :-

उम्मीदवारों को और से अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी और यदि चयन समिति गठित हो तो चयन समिति उस उम्मीदवार को चयन के लिए अनर्ह मान सकेगी.

## (10) नियुक्ति प्राधिकारी को उम्मीदवारों की पात्रता के संबंध में विनिश्चय अंतिम होना :-

प्रश्न करने के लिए उम्मीदवार की पात्रता अथवा अपात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी उम्मीदवार को जिसे नियुक्ति, प्राधिकारी द्वारा परीक्षामें प्रवेश के लिए सर्टिफिकेट न दिया गया हो उसे न साक्षात्कार किया जावेगा और न ही उसकी नियुक्ति पर विचार.

## (11) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भरती :-

(क) सेवा में भरती के लिए चयन ऐसे अन्तरालों में किया जायेगा जैसा कि बोर्ड समय-समय पर अवधारित करें,

(ख) चयन समिति द्वारा चयन की प्रक्रिया ऐसे आदेशों के अनुसार संचालित की जावेगी जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर जारी करें.

- (ग) सीधी भरती के लिए उपलब्ध रिक्तियों के तृतीय श्रेणी की सेवा में पदों के क्रमशः सोलह प्रतिशत, बीस प्रतिशत तथा चौदह प्रतिशत उन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के सदस्य हों।
- (घ) इस प्रकार आरक्षित स्थानों को भरते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जावेगा, जिस क्रम में उनके नाम विनियम 12 में विनिर्दिष्ट सूची में आते हों, चाहे अन्य उम्मीदवार की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान कुछ भी क्यों न हो।
- (ङ) ऐसे उम्मीदवारों को जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़ी जातियों के हों और जिन्हें नियुक्त प्राधिकारी या प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो, उप विनियम (ग) के अधीन यथा स्थिति अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों या पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्त किया जा सकेगा।
- (च) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिये आवश्यक अर्हता के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हों तो समस्त या किसी भी रिक्त को केवल ऐसे उम्मीदवारों के लिए दो बार पुनर्विज्ञापित किया जावेगा। यदि ऐसे पुनर्विज्ञापित के पश्चात भी समस्त या उसमें से कोई रिक्ति भरी न जा सके तो ऐसी रिक्तियों साधारण श्रेणी के उम्मीदवारों से राज्य शासन की सहमति से भरी जा सकेगी पर चयन के दौरान यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों के लिए उतनी ही संख्या में अतिरिक्त स्थान रक्षित रखे जायेंगे।
- परन्तु अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों की कुल संख्या अग्रणीत (केरीफारवर्ड) रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए विज्ञापित की गई कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगा।
- (छ) सीधी भरती के लिए अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की सूची रोजगार कार्यालय से प्राप्त की जावेगी तथा ऐसी रिक्तियाँ "म. प्र. रोजगार तथा निर्माण" में विज्ञापित कराई जावेगी।

(12) चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये उम्मीदवारों की सूची :-

- (क) चयन समिति नियुक्ति प्राधिकारी को (1) अपने द्वारा निश्चित किए गए मानकों के अनुसार उम्मीदवारों की योग्यता क्रम बनाई गई सूची तथा (2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के उन उम्मीदवारों की सूची जो यद्यपि चयन समिति द्वारा चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड के न होने पर जिन्हें चयन समिति द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो।
- (ख) इन विनियमों तथा म. प्र. शासन के म. प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के उपबंधों के अध्याधीन उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के बारे में उसी क्रम में विचार किया जावेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।
- (ग) जब तक नियुक्ति प्राधिकारी का उसके द्वारा उम्मीदवार के पूर्व वृत्त के संबंध में आवश्यक समझी जाने वाली जांच पड़ताल से समाधान न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है, तब तक उप विनियम 12 (क) में उल्लिखित सूची में केवल उम्मीदवार का नाम शामिल होने से ही उसे नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल सकेगा।
- (घ) चयन समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची नियुक्ति कर्ता अधिकारी या बोर्ड के अंतिम अनुमोदन की दिनांक से एक वर्ष

की कालावधि तक के लिये विधिमान्य रहेगी.

( 13 ) पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :-

- (क) योग्य उम्मीदवारों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक पदोन्नति समिति गठित की जायेगी, जिसमें अनुसूची चार के कॉलम-4 में उल्लेखित सदस्य होंगे.
- (ख) पदोन्नति समिति की बैठक ऐसे अन्तरावधियों पर होगी जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो.
- (ग) पदोन्नति समिति को प्रत्येक अवसर पर संवर्ग में सेवा के सभी सदस्यों की अंतिम वरिष्ठता सूची तथा समिति द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध की जायेगी.
- (घ) उन पदों में से जिसमें पदोन्नति की प्रक्रिया 33-1/2 से अधिक है, पदोन्नति के लिए प्राप्त रिक्तियों का श्रेणी एक एवं दो की सेवाओं का क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए विनियम 14 के उपबन्धों के अनुसार पदोन्नति के लिए पात्र हैं, आरक्षित रखा जायेगा.
- (ङ) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने के लिए प्रक्रिया शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार होगी.

( 14 ) पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें :-

- (क) उप विनियम (ख) के उपबन्धों के अधधीन रहते हुए सम्मिलित उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने वर्ष की एक जनवरी को इतने वर्षों की सेवा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सहित (चाहे वह स्थानापन्न या मूल हैसियत में हो) चालू प्रभार की अवधि को छोड़कर जो अनुसूची चार के कालम (3) में विनिर्दिष्ट की गई है, अनुसूची चार में कालम (2) में वर्णित पद पर पूरी की ली थी.
- (ख) परन्तु यह और भी कि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को उससे वरिष्ठ व्यक्ति पर अधिमानता देकर पदोन्नत के लिए केवल इस आधार पर विचार नहीं किया जाएगा कि उसने विहित सेवा पूर्ण कर ली है.
- (ग) "योग्यता एवं वरिष्ठता" के आधार चयन के लिए विचारार्थ क्षेत्र चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या से सामान्यतः सात गुना तथा "वरिष्ठता एवं योग्यता" के आधार पर चयन के लिए विचार क्षेत्र सूची में सम्मिलित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या का पांच गुना होगा.

परन्तु- इस प्रकार अवधारित किए गए क्षेत्र में अपेक्षित संख्या में व्यक्ति उपलब्ध न हो तो समिति उस सीमा का जहां तक वह आवश्यक समझे विस्तार के कारण लिपिबद्ध कर बढ़ा सकेगी.

( 15 ) उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करना :-

- (क) समिति ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी जो विनियम 14 में निहित की गई शर्तों को पूरा करते हो और जो सेवा में पदोन्नति के लिए समिति द्वारा उपयुक्त ठहराये गए हो. चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाले पूर्वमानित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी. उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली भविष्य दर्शा रिक्तियों को भरने के लिए एक आरक्षित सूची भी तैयार की जायेगी जिसमें चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत व्यक्ति होंगे.

- (ख) ऐसी सूची में समावेश करने के लिए चयन जब तक अन्यथा निर्देशित न हो वरिष्ठता का सम्यक ध्यान रखते हुए गुण दोष पर तथा सब प्रकार की उपयुक्तता पर आधारित होगा।
- (ग) सूची में सम्मिलित किए गए नाम प्रत्येक चयन सूची तैयार करते समय प्रत्येक श्रेणी (जैसा कि अनुसूची चार के कालम (2) में हो) वरिष्ठता क्रम में रखे जायेंगे।

**स्पष्टीकरण :-**

कोई भी व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो किन्तु सूची के तैयार की जानी की तारीख से एक वर्ष के दौरान पदोन्नति नहीं दिया गया हो एक मात्र तथ्य से कि उसका चयन पूर्व का है उन व्यक्तियों के ऊपर जिनका कि पश्चातवर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का दावा नहीं करेगा।

**(16) चयन सूची :-**

- (क) पदोन्नति समिति की चयन सूची में-

- (1) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख, और
- (2) ऐसे सभी व्यक्तियों के अभिलेख जिनको समिति की सिफारिश के आधार पर अधिक्रमित करना प्रस्तावित हो, सम्मिलित होंगे।

- (ख) चयन सूची को अंतिम रूप दिया जाना-समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची पर ऊपर वर्णित रिकार्ड के साथ बोर्ड के अध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत की जावेगी और उनके अनुमोदन के पश्चात वह सूची पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी। यदि बोर्ड के अध्यक्ष की राय में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रस्तुत चयन सूची न्यायोचित तथ्य उपयुक्त नहीं है तो पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की गई सूची बोर्ड के अध्यक्ष की राय के साथ प्रथम अवसर पर बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत होगी और बोर्ड के निर्णय अंतिम होंगे तथा बोर्ड के निर्णय के अनुसार तैयार की गई चयन सूची प्रभावशील होगी।

- (ग) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि-

पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण न किया जाय, किन्तु उसकी विधि मान्यता उसके अनुमोदित होने की तारीख से अठारह माह की कुल कालावधि से परे नहीं बढ़ाई जाएगी, परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्यों के पालन या निर्वाह में गंभीर चूक होने की स्थिति में बोर्ड के सदस्य सचिव की पहल पर चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन हो सकेगा और यदि नियुक्ति प्राधिकारी ऐसा आदेश दे तो संबंधित व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटाया जा सकेगा। इस प्रकार की गई कार्यवाही की जानकारी राज्य बोर्ड के सूचनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

- (घ) यदि कोई व्यक्ति किन्हीं कारणों से अपनी पदोन्नति का लाभ उठाने से लिखित रूप से असमर्थता व्यक्त करता है तो उसे पदोन्नति आदेश में लिखित से तीन वर्ष तक पदोन्नति के लिए विचार में नहीं लिया जावेगा।

**(17) चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :-**

चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की केडर के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम में की जावेगी जिस क्रम में उनके नाम अनुमोदित चयन सूची में हैं।

**(18) परीक्षा :-**



सेवा में भरती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा बशर्ते कि स्पष्ट रिक्तियां हो अन्यथा सभी नियुक्तियां अस्थायी रूप में आगामी आदेशों तक की जावेगी.

**( 19 ) सेवा निवृत्त व्यक्तियों की पुनर्नियुक्ति :-**

यदि नियुक्ति प्राधिकारी की रय में पद विशेष पर अनुभवी व्यक्तियों की सेवाएं बोर्ड के व्यापक हित में है, तो वे शासकीय सेवा से सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों या बोर्ड की सेवाओं से सेवानिवृत्त किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को पुनर्नियुक्त कर सकेंगे पर ऐसी पुनर्नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिवार्षिकी आयु से चार वर्ष की कालावधि से अधिक के लिए नहीं होगी.

**( 20 ) सेवा की अन्य शर्तें :-**

सेवा की सामान्य शर्तें, आचारण एवं अनुशासन के संबंधमें शासन के निम्न नियम जैसे कि समय-समय पर प्रभावी हो, सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे :-

- (1) मध्यप्रदेशसिविल सेवा (जनरल कंडीशंस-आफ सर्विस) रूल्स 1961
- (2) मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (कन्डक्ट) रूल्स, 1965 और
- (3) मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस (क्लासीफिकेशन, कंट्रोल एण्ड अपील) रूल्स, 1966 इस संशोधन के साथ कि नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील राज्य शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सम्मुख हो सकेगी जो प्रकरण पर विचार हेतु बनाई समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय लेंगे जो अंतिम होगा. यह समिति तीन अधिकारियों की हो सकेगी. जिनमें से एक बोर्ड का वरिष्ठ अधिकारी होगा. इसी तरह वेतनमान, वेतन निर्धारण, मंहगाई भत्ते, अवकाश तथा अधिवार्षिकी के मामलों में समय-समय पर शासकीय सेवकों को प्रभावी आदेश सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

**( 21 ) निर्वहन :-**

यदि इन विनियमों के निर्वहन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाएगा और इस पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा.

**( 22 ) छूट :-**

इन विनियमों की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा. कि यह ऐसे व्यक्ति के मामले में जिनको यह विनियम लागू होते हैं, राज्य बोर्ड की ऐसे रीति से कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है, जो उसके उचित व न्याय संगत प्रतीक हो परन्तु मामले पर कार्यवाही किसी ऐसी रीति से नहीं की जावेगी जो कि इन विनियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

**( 23 ) व्यावृत्ति :-**

इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लिए राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायतों के लिए उपबंध किए जाने को प्रभावित नहीं करेगी.

**( 24 ) निरसन एवं व्याप्ति :-**

इस विनियम के जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) मध्यप्रदेश नियम 1975में सम्मिलित तत्स्थली समस्त नियम तथा बोर्ड द्वारा लागू तत्संबंधी प्रशासनिक आदेश जो कि इन विनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व लागू थे. इस विनियम के प्रभावशील होने पर निरस्त किए जाते हैं. परन्तु इस प्रकार निरसित किये नियमों तथा आदेश के अधीन की गई कार्यवाही इन विनियमोंके उपबंधों के अधीन की गई कार्यवाही मानी जावेगी.

अनुसूची-1

(नियम 5 देखिये)

क्रमांक	सेवाओं में सम्मिलित पद	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपये)
1	2	3	4	5
<b>(1) अधियांत्रिकी सेवायें</b>				
1.	कनिष्ठ यंत्री	27	तृतीय श्रेणी	2000-60-2300-75-3200-100-3500
2.	मुख्य मानचित्रकार	1	"	1600-50-2300-60-2720+रु. 75 विशेष वेतन
3.	उपयंत्री	5	"	1600-50-2300-60-2720
4.	मानचित्रकार	3	"	1600-50-2300-60-2720+रु. 25 विशेष वेतन
5.	सहायक मानचित्रकार	6	"	1200-40-1440-50-2040
6.	अनुरेखक	11	"	950-25-1000-30-1210-40-1530
<b>(2) वैज्ञानिक सेवायें</b>				
1.	कनिष्ठ वैज्ञानिक/ ऑपरेटर सहायक	20	"	2000-60-2300-75-3200-100-3500
2.	रसायनज्ञ	75	"	1400-40-1440-50-2340-60-2640
3.	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड - I	19	"	1200-40-1440-50-2040
4.	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड -II/सेम्पलर	21	"	950-25-1000-30-1210-40-1530
<b>(3) प्रशासनिक एवं लेखा सेवायें</b>				
1.	अधीक्षक /वरिष्ठ लेखापाल	10	"	1640-60-2600-75-2900
2.	सहायक अधीक्षक/लेखापाल/अंकेक्षक	18	"	1400-40-1440-50-2340-60-2640
3.	उच्च श्रेणी लिपिक/लेखा लिपिक	29	"	1150-30-1210-40-1450-50-1800
4.	शीघ्रलेखक ग्रेड-II	5	"	1640-60-2600-75-2900
5.	शीघ्रलेखक ग्रेड-III	18	"	1400-40-1440-50-2340-60-2640
6.	स्टेनो टाइपिस्ट/निम्न श्रेणी लिपिक/टेलीफोन ऑपरेटर	58	"	950-25-1000-30-1210-40-1530
7.	मैकेनिक	1	"	1150-30-1210-40-1450-50-1800
8.	वाहन चालक	34	"	950-25-1000-30-1210-40-1530

1	2	3	4	5
9.	सुपरवाइजर ग्रेड-I	1	तृतीय श्रेणी	1150-30-1210-40-1450-50-1800
10.	सुपरवाइजर ग्रेड-II	1	"	950-25-1000-30-1210-40-1530
11.	इलेक्ट्रीशियन	1	"	950-25-1000-30-1210-40-1530
12.	कृषि सहायक	1	"	1400-40-1440-50-2340-60-2640
<b>(4) जनसंपर्क एवं सौख्यकी सेवायें</b>				
1.	प्रचार सहायक	2	"	1400-40-1440-50-2340-60-2640
<b>(5) विधि सेवायें</b>				
1.	विधि सहायक ग्रेड-I	1	"	1640-60-2000-75-2900
2.	विधि सहायक ग्रेड-II	1	"	1400-40-1440-50-2340-60-2640
<b>(5) कम्प्यूटर सेवायें</b>				
1.	डाटा सहायक ग्रेड-I	2	"	1640-60-2000-75-2900
2.	डाटा सहायक ग्रेड-II	2	"	1400-40-1440-50-2340-60-2640
3.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	2	"	1150-30-1210-40-1450-50-1800

नोट : (I) एकांगी पदों का वेतनमान शासन के नियमानुसार क्रमोन्नत वेतनमान होगा.

नोट : (II) नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, चिकित्सालय की प्रतिपूर्ति, यात्रा भत्ता, मकान किराया भत्ता, आशुदायी भविष्यनिधि, अनुग्रह भुगतान, पेंशन के मामले में बोर्ड के निर्णय के अनुसार कार्यवाही होगी.

**अनुसूची -II**  
(नियम 6 ब देखें)

क्रमांक	पदनाम	पद संख्या	पद भरे जाने का प्रतिशत	
			सीधी भर्ती से	पदोन्नति से
1	2	3	4	5
<b>(1) अभियांत्रिकी सेवायें</b>				
1.	कनिष्ठ यंत्री	27	100%	-
2.	मुख्य मानचित्रकार	1	-	100%

3.	उपयंत्री	5	100%	-
4.	मानचित्रकार	3	-	100%
5.	सहायक मानचित्रकार	6	50%	50%
6.	अनुरेखक	11	100%	-

**(2) वैज्ञानिक सेवायें**

1.	कनिष्ठ वैज्ञानिक/ऑपरेटर सहायक	20	-	100%
2.	रसायनज्ञ	75	75%	25%
3.	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-1	19	50%	50%
4.	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2/सेम्पलर	21	75%	25%

**(3) प्रशासनिक एवं लेखा सेवायें**

1.	अधीक्षक/वरिष्ठ लेखापाल	10	-	100%
2.	सहायक अधीक्षक/लेखापाल	18	-	100%
3.	उच्च श्रेणी लिपिक/लेखा लिपिक	29	-	100%
4.	शीघ्रलेखक ग्रेड-II	5	-	100%
5.	शीघ्रलेखक ग्रेड-III	18	75%	25%
6.	स्टेनो टाइपिस्ट/निम्न श्रेणी लिपिक/टाइपिस्ट/टेलीफोन ऑपरेटर.	58	80%	20%
7.	मैकेनिक	1	-	100%
8.	वाहन चालक	34	100%	-
9.	सुपरवाइजर ग्रेड-I	1	-	100%
10.	सुपरवाइजर ग्रेड-II	3	-	100%
11.	इलेक्ट्रीशियन	1	100%	-
12.	कृषि सहायक	1	100%	-

**(4) जनसंपर्क एवं सांख्यिकी सेवायें**

1.	प्रचार सहायक	2	100%	-
----	--------------	---	------	---

1	2	3	4	5
	<b>(5) विधि सेवायें</b>			
1.	विधि सहायक ग्रेड -1	1	-	100%
2.	विधि सहायक ग्रेड-2	1	100%	-
	<b>(6) कम्प्यूटर सेवायें</b>			
1.	डाटा सहायक ग्रेड-I	2		100%
2.	डाटा सहायक ग्रेड-II	2		100%
3.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	2	100%	-

**अनुसूची- तीन**  
(नियम - 8 देखिये)

क्र.	पदनाम	निम्नतर आयुसीमा	उच्चतर आयुसीमा	शैक्षणिक योग्यता	विभागीय चयन समिति के सदस्य
1	2	3	4	5	6
	<b>(1) अभियांत्रिकी सेवायें</b>				
1.	कनिष्ठ यंत्री	18 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल/रासायनिक/पर्या. अभियांत्रिकी में बी. ई. उपाधि.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष 2. मुख्य यंत्री (पर्या.)/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी -सदस्य 3. अधीक्षण यंत्री : सदस्य 4. बोर्ड प्रशासन के प्रभारी अधिकारी: संयोजक (आवश्यक होने पर विषय विशेषज्ञ को समिति में सम्मिलित किया जा सकता है)
2.	उपयंत्री	"	"	मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा	तद्वै

3.	सहायक मानचित्रकार	"	"	"	तदैव
4.	अनुरेखक	"	"	हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से ड्राईंग का प्रमाण-पत्र.	तदैव
<b>(2) वैज्ञानिक सेवायें</b>					
1.	रसायनज्ञ	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से जीवविज्ञान/पर्यावरण विज्ञान/वनस्पति शास्त्र/रसायन शास्त्र विषय में स्नातक उपाधि	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड : अध्यक्ष 2. मुख्य यंत्री (पर्या.)/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी -सदस्य 3. अधीक्षण यंत्री : सदस्य 4. बोर्ड प्रशासन के प्रभारी अधिकारी: संयोजक (आवश्यक होने पर विषय विशेषज्ञ को समिति में सम्मिलित किया जा सकता है)
2.	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-1	"	"	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी. एस. सी. उपाधि.	तदैव
3.	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2	"	"	विज्ञान विषय से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा तथा इलेक्ट्रानिकल में आई. टी. आई. प्रमाण-पत्र अथवा बी. एस. सी. उपाधि.	तदैव
<b>(3) प्रशासनिक एवं लेखा सेवायें</b>					
1.	शीघ्रलेखक ग्रेड-III	18 वर्ष	"	मा. शि. मं. म. प्र. से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण तथा म. प्र. शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन बोर्ड से कम से कम 100 शब्द प्र. मि. से शीघ्रलेखन एवं टंकण परीक्षा उत्तीर्ण.	तदैव

822

1	2	3	4	5	6
2.	स्टेनो टाइपिस्ट	18 वर्ष	30 वर्ष	मा. शि. मं. म. प्र. से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण तथा कम से कम 60 शब्द प्रति-मिनिट शीघ्रलेखन एवं टंकण परीक्षा उत्तीर्ण.	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण-बोर्ड : अध्यक्ष 2. मुख्य यंत्री (पर्या.)/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी -सदस्य 3. अधीक्षण यंत्री : सदस्य 4. बोर्ड प्रशासन के प्रभारी अधिकारी: संयोजक (आवश्यक होने पर विषय विशेषज्ञ को समिति में सम्मिलित किया जा सकता है)
3.	निम्न श्रेणी लिपिक/टेलीफोन आपरेटर	"	"	मा. शि. मं. म. प्र. से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण तथा कम से कम 25 शब्द प्रति-मिनिट गति से टंकण परीक्षा उत्तीर्ण.	तदैव
4.	वाहन चालक	"	"	कक्षा 8 वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा हल्के तथा भारी वाहनों का वाहन चालक का वाहन अधिनियम के तहत लाइसेंस.	तदैव
5.	कृषि सहायक	"	"	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि स्नातक.	तदैव
6.	इलेक्ट्रीशियन	"	"	आठवीं पास तथा वायरमैन का म. प्र. लायसेंसिंग बोर्ड का प्रमाण-पत्र तथा 8 वर्ष का कार्य अनुभव.	तदैव
<b>(4) जन संपर्क एवं सांख्यिकी सेवाएँ</b>					
1.	प्रचार सहायक	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी विषय से स्नातकोत्तर उपाधि एवं (अ) अंग्रेजी ज्ञान (ब) दैनिक समाचार-पत्र के साथ एक वर्ष का कार्य अनुभव जैसे कम्पायलेशन/कॉलम राइटिंग अथवा समाचार एकत्रण.	तदैव

**(5) विधि सेवायें**  
विधि सहायक ग्रेड-2

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक तथा स्टेट बार काउंसिल से प्रमाणित। तदैव

**(6) कम्प्यूटर सेवायें**

1. डाटा इन्ट्री ऑपरेटर 21 30 माध्यमिक शिक्षा मंडल से हायर सेकेण्डरी 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण तथा कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा। तदैव

**अनुसूची - चार**  
(नियम 6 एवं 7 देखें)

क्र.	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाती है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाती है	शैक्षणिक योग्यता अनुभव	पदोन्नति समिति के सदस्य
1	2	3	4	5
1.	<b>(1) अभियांत्रिकी सेवायें</b> मानचित्रकार	मुख्य मानचित्रकार	मानचित्रकार के रूप में 5 वर्ष की लगातार सेवा	1. सदस्य सचिव : अध्यक्ष 2. मुख्य यंत्री (पर्या.)/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी : सदस्य 3. अधीक्षण यंत्री : सदस्य 4. बोर्ड के प्रशासन के प्रभारी अधिकारी : संयोजक (आवश्यक होने पर विषय विशेष के विशेषज्ञ को समिति में सम्मिलित किया जा सकता है। तदैव
2.	सहायक मानचित्रकार	मानचित्रकार	सहायक मानचित्रकार पद पर 5 वर्ष की लगातार सेवा	



1	2	3	4	5
3.	अनुरेखक	सहायक मानचित्रकार	अनुरेखक पद पर 5 वर्ष की लगातार सेवा	1. सदस्य सचिव, म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड : अध्यक्ष 2. मुख्य यंत्री (पर्या.)/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी -सदस्य 3. अधीक्षण यंत्री : सदस्य 4. बोर्ड प्रशासन के प्रभारी अधिकारी: संयोजक (आवश्यक होने पर विषय विशेषज्ञ को समिति में सम्मिलित किया जा सकता है)
	<b>(2) वैज्ञानिक सेवाएँ</b>			
1.	रसायनज्ञ	कनिष्ठ वैज्ञानिक	पी. एच. डी. एवं एक वर्ष एम. एस.सी. एवं तीन वर्ष/बी. एस.सी. एवं छः वर्ष की रसायनज्ञ के पद पर लगातार सेवा.	तदैव
2.	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-1/सैम्पलर	रसायनज्ञ	एम. एस. सी. एवं तीन वर्ष, बी. एस. सी. एवं 5 वर्ष की प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-1/सैम्पलर पद पर लगातार सेवा.	तदैव
3.	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-1	1. हायर सेकेण्डरी एवं इलेक्ट्रानिक्स में प्रमाण-पत्र के साथ प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2 के पद पर 8 वर्ष की लगातार सेवा. 2. बी. एस. सी. उपाधि के साथ प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2 पद पर 2 वर्ष लगातार सेवा.	तदैव
4.	प्रयोगशाला परिचारक	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2	विज्ञान विषय से हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण के साथ प्रयोगशाला परिचारक के पद पर 8 वर्ष की लगातार सेवा.	तदैव
	<b>(3) प्रशासन एवं लेखा सेवाएँ</b>			
1.	सहायक अधीक्षक/लेखापाल	अधीक्षक/वरिष्ठ लेखापाल	सहायक अधीक्षक/लेखापाल पद पर 5 वर्ष की लगातार सेवा.	तदैव
	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	शीघ्रलेखक ग्रेड-2	शीघ्रलेखक ग्रेड-3 पद पर 5 वर्ष की लगातार सेवा.	तदैव

3.	उच्च श्रेणी लिपिक/ लेखा लिपिक	सहायक अधीक्षक/ लेखापाल	उच्च श्रेणी लिपिक/लेखा लिपिक पद पर 5 वर्ष की लगातार सेवा	तदैव
4.	निम्न श्रेणी लिपिक/ स्टेनो टायपिस्ट/टायपिस्ट/ टेलीफोन आपरेटर	उच्च श्रेणी लिपिक/ लेखा लिपिक	निम्न श्रेणी लिपिक/स्टेनो टायपिस्ट/ टेलीफोन आपरेटर /टायपिस्ट पद पर 5 वर्ष की लगातार सेवा	तदैव
5.	स्टेनो टायपिस्ट	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	स्टेनोटाइपिस्ट पद पर 5 वर्ष की लगातार सेवा के साथ कम से कम 100 शब्द प्रतिमिनट शार्टहैंड की गति	तदैव
6.	वाहन चालक	मैकेनिक	वाहन सुधार दक्षता के साथ 15 वर्ष की वाहन चालक पद पर लगातार सेवा	तदैव
7.	दफ्तार/चपरासी/चौकीदार टेलीफोन अटेंडेंट/प्रयोगशाला परिचारक (चतुर्थ श्रेणी)	निम्न श्रेणी लिपिक/ टाइपिस्ट/टेलीफोन आपरेटर (तृतीय श्रेणी)	हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ संबंधित पद पर 5 वर्ष की लगातार सेवा	तदैव
8.	सुपरवाइजर ग्रेड-2	सुपरवाइजर ग्रेड-1	सुपरवाइजर ग्रेड-2 के पद पर 8 वर्ष की लगातार सेवा	तदैव
9.	दफ्तारी/चपरासी	सुपरवाइजर ग्रेड-2	कक्षा 8वीं पास एवं दफ्तारी/चपरासी/ चौकीदार के पद पर 8 वर्ष की लगातार सेवा	तदैव
<b>(5) विधि सेवाएँ</b>				
1.	विधि सहायक ग्रेड-2	विधि सहायक ग्रेड-1	विधि सहायक ग्रेड-2 के पद पर 5 वर्ष की लगातार नियमित सेवा	तदैव
<b>(6) कम्प्यूटर सेवा</b>				
1.	डाटा सहायक ग्रेड-2	डाटा सहायक ग्रेड-1	माध्यमिक शिक्षा मण्डल से हायर सेकेण्डरी 10+2 परीक्षा तथा कम्प्यूटर डिप्लोमा एंड प्रोग्रामिंग अर्हता और डाटा सहायक ग्रेड-2 पर 5 वर्ष की लगातार सेवा	तदैव
2.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	डाटा सहायक ग्रेड-2	डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद पर 5 वर्ष की लगातार सेवा	तदैव

824

## MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Bhopal, Dated 20th May, 1996

No. 8282 In exercise of the powers conferred by Sub-section (3A) of section 12 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 No. 6 of 1974) the Madhya Pradesh Pollution Control Board, with the prior approval of the State Government, hereby makes the following regulation, regulating the method and field of recruitment in the Class IV service in the Madhya Pradesh Pollution Control Board, namely :-

1. **Short title and Commencement :** The rules may be called the Madhya Pradesh Pollution Control Board Class IV Services Recruitment Rules, 1996. These regulations shall come in force the date of their publication in M. P. Rajpatra.
2. **Application :** These rules shall apply to all class IV posts in the Madhya Pradesh Pollution Control Board specified column (1) of the schedule annexed hereto.
3. **Classification and Scale of Pay etc :**

The Classification of the said posts, the scale of pay attached thereto, the method of recruitment to the said posts, age limits and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (3) to 10 of Schedule.

## SCHEDULE

SEE RULE 2 OF THE M. P. POLLUTION CONTROL BOARD  
CLASS IV SERVICES RECRUITMENT RULES, 1996

S.No.	Name of Post.	Number of Post	Classification	Scale of pay	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer & percentage of Vacancies to be filled by various methods	For direct recruitment only				Remarks
						Mini-mum age limit	Maxi-mum age limit	Educational qualification required	Period of probation/ trial if any (in years)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Laboratory Attendant	73	Class-IV	825-15-900-20-1220	By direct recruitment 100%	18	30	A certificate from the Board of Second-	2.	Person from this cadre with education qualification

dary of education Madhya Pradesh having passed Secondary School Examination in Science Subject.

for direct recruits will be eligible for promotion to the posts of Laboratory Assistant Gr. II Sampler depending on the availability of vacancies after having continuously worked on the post of Laboratory attendant for a minimum period of ten years.

2.	Telephone Attendant	1	Class-IV	775-12-871-15-1036	By direct recruitment 100%	18	30
----	---------------------	---	----------	--------------------	----------------------------	----	----

A certificate from the Board of Secondary of education Madhya Pradesh having passed Secondary School Examination.

2. Person with educational qualification for direct recruits will be eligible for promotion to the post of Telephone Operator ( Class-III ) depending on the availability of vacancies after having continuously worked on the post of Telephone attendant for a minimum period of six years.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Daftari	20	Class-IV	775-12- 871-15- 1036	By Promotion 100%					Person with educa tion qualification for direct recruits will be eligible for promotion to the posts of Daftari depending on the availability of vacancies after hav ing continuously worked on the post of Peon/ Chaukidar for a minimum period of Eight years. If he holds the Edu cational qualifica tion prescribed for posts mentioned in serial No. 2 and has put in continu ously service for six years. He will be eligible for promo

to the post of  
Lower Division  
Clerk within the  
quota fixed for pro-  
motions.

4.	Peon/ Chaukidar	153	Class-IV	750-10- 870-15- 945	By direct recruitment 100%	18	30	certificate of having passed the VIII Class examination from a recogni- sed institution of the State.
5.	Sweeper	12	---	---	---	---	---	---

- Note :-
1. All such persons working on the posts of telephone attendant, daftari, peon/chaukidar who have passed the Higher Secondary Examination conducted by the Board of Secondary Education of M.P. and have passed the Hindi Typing examination from the Board of the State shall be eligible for consideration to the post of Lower Division Clerk/Typist within the quota of promotion of 10% reserved for promotion for class IV employees after having put in a minimum continuous services of 6 years on the substantive post.
  2. The Selection Committee constituted for the selection Class III employee will be applicable for the selection of class IV.

भोपाल, दिनांक 20 मई, 1996

क्र. 8282 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 (क्रमांक 6/1974) की धारा 12 की उप धारा 3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है. अर्थात :-

(1) संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

ये विनियम मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती विनियम 1996 कहलायेंगे. यह विनियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे.

(2) प्रयुक्ति :

ये विनियम इसमें संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में उल्लेखित म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समस्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी पर लागू होंगे.

(3) वर्गीकरण तथा वेतनमान आदि :

उक्त पदों के वर्गीकरण, उनसे संबंधित वेतनमान उक्त पदों के लिये भर्ती पद्धति आयु सीमा और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची एक एवं दो में उल्लेखित की जायेगी.

अनुसूची-I

म. प्र. प्र. नि. बोर्ड "चतुर्थ श्रेणी" सेवा भर्ती नियम-1996

(नियम-2 देखें)

क्र.	पदनाम	पदसंख्या	वेतनमान	भर्ती विधि ( सीधी भर्ती/पदोन्नति से आदि प्रतिशत सहित)
1	2	3	4	5
1.	प्रयोगशाला परिचारक	73	825-15-900-20-1220	सीधी भर्ती 100 %
2.	टेलीफोन अटेंडेन्ट	1	775-12-871-15-1036	सीधी भर्ती 100 %
3.	दफ्तरी	20	---	सीधी भर्ती 100 %
4.	चपरासी/चौकीदार	153	750-12-870-15-945	सीधी भर्ती 100 %
5.	स्वीपर	12	---	---

क्र.	पदनाम	सीधी भर्ती हेतु			टीप
		न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	शैक्षणिक योग्यता	
1	2	3	4	5	6
1.	प्रयोशाला परिचारक	18 वर्ष	30 वर्ष	मा. शि. मंडल से विज्ञान विषय से हायरसेकेंड्री उत्तीर्ण	शैक्षणिक योग्यताधारी उम्मीदवार प्र. शा. सहा. ग्रेड- II/ सेम्पलर पद पर पदोन्नति हेतु 10 वर्ष की सेवा के पश्चात् पदों की उपलब्धता के अनुसार योग्य होंगे.
2.	टेलीफोन अटेंडेंट	---	---	मा. शि. मंडल से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण	यह शैक्षणिक योग्यताधारी उम्मीदवार टेलीफोन ऑपरेटर पद हेतु 6 वर्ष के लगातार सेवा के पश्चात् पदों की उपलब्धता अनुसार योग्य होंगे.
3.	दफ्तरी	---	---	कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण	चपरासी/चौकीदार पदों पर सीधी भर्ती प्राप्त, कक्षा 8 वीं पास उम्मीदवार 8 वर्ष की सेवा उपरांत दफ्तरी पद हेतु योग्य होंगे. क्रमांक-2 पद की योग्यताधारी उम्मीदवार 6 वर्ष की सेवा उपरांत योग्य होंगे.
4.	स्वीपर	---	---	---	---

टीप:-

1. निम्न श्रेणी लिपिक/टंकक के 10 प्रतिशत पद ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति से भरे जायेंगे, जो टेलीफोन अटेंडेंट/दफ्तरी/चपरासी/चौकीदार पद पर 6 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों तथा हायरसेकेंड्री परीक्षा एवं टंकण परीक्षा उत्तीर्ण हो.
2. श्रेणी (तीन) के सेवाओं के लिये गठित चयन समिति श्रेणी (चार) के सेवाओं के लिये भी वैध होगी.

(560)

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से तथा आदेशानुसार

पी. के. बैनर्जी,

सदस्य सचिव



डाक व्यव की पूर्व-अदायगी के बिना  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत,  
अनुमति-पत्र, ग्वालियर सम्भाग,  
एम. पी.-19-ग्वालियर- 2008-10

पंजी. क्र. ग्वालियर डिवीजन  
एम.पी.-19- ग्वालियर-2008-10



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई 2009-श्रावण 2, शके 1931

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जून, 2009

क्र. 1551.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6/1974) की धारा-12 की उप-धारा-3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) (भरती तथा सेवा शर्त) विनियम-1996 की कंडिका 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूची-1 में संशोधन किया गया है.

1. अनुसूची एक के अन्त में निम्नानुसार अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“अनुसूची-एक”

(नियम-5 देखिये)

सेवा में वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान रुपये
जन सम्पर्क एवं सांख्यिकी सेवायें—				
1.	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी	2	द्वितीय	8000-275-13500/-

क्र. .... जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6/1974) की धारा-12 की उप-धारा-3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा ( तृतीय श्रेणी) (भरती तथा सेवा शर्त) विनियम-1996 की कंडिका 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूची-1 में संशोधन किया गया है.

1. अनुसूची एक में प्रशासन एवं लेखा सेवा के अन्त में निम्नानुसार अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“अनुसूची-एक”

(नियम-5 देखिये)

सेवा में वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान रुपये
प्रशासन एवं लेखा—				
1.	वरिष्ठ ऑडिटर	1	तृतीय	6500-200-10500/-

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. जैन,

सदस्य सचिव.

(51-जी.)

Bhopal, Dated 25<sup>th</sup> June, 2009

No. 1551.—In exercise of the powers conferred by sub-section 3 (A) of Section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) the Madhya Pradesh Pollution Control Board, with the prior approval of the State Government, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Pollution Control Board Service (Class I and II) (Recruitment and Conditions) of Service Regulation 1996.

- (1) At the end of Schedule-1 the following of Schedule shall be substituted namely:—

“SCHEDULE-1”

(See Regulation-5)

S. No.	Post included in the service	Total Number of Post	Classification	Scale of pay (Rs.)
1	2	3	4	5
1.	Asstt. Public Relation Officer	02	Class-II	8000-275-13500.

No. . . . .—In exercise of the powers conferred by sub-section 3 (A) of Section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) the Madhya Pradesh Pollution Control Board, with the prior approval of the State Government, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Pollution Control Board Service (Class III) (Recruitment and Conditions) of Service Regulation 1996.

- (1) After Administrative & Account Service the following shall be substituted namely:—

“SCHEDULE-I”

(See Regulation-5)

S. No.	Post included in the service	Total Number of Post	Classification	Scale of pay (Rs.)
1	2	3	4	5
1.	Senior Auditor	01	Class-III	6500-200-10500.

R. K. JAIN,

Member Secretary.

(51 A0-B.)

**अन्य सूचनाएं****नाम परिवर्तन**

सूचित किया जाता है कि मैं, पुष्पा थामस पत्नी श्री वेदी थामस निवासी बोर-153, वीरगढ़ाण सड़क, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) ने अपना नाम पुष्पा थामस के स्थान पर सोमया थामस रख लिया है। अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम सोमया थामस पत्नी श्री वेदी थामस के नाम से जाना जावे।

पुराना नाम :

नया नाम :

(पुष्पा थामस)

(सोमया थामस)

पति श्री वेदी थामस,

(52-बी.)

निवासी-बीएच-163, वीरगढ़ाण सड़क, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

**नाम परिवर्तन**

सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती तान्या चानना पत्नी श्री अजय चानना, निवासी हुजरात कोतवाली, परिसर लखनऊ, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) का विवाह 19 फरवरी, 1999 को शिवपुरी (मध्यप्रदेश) में सम्पन्न हुआ था। शादी के पूर्व मेरा नाम कु. संगीता भारद्वाज पुत्री श्री वेद प्रकाश भारद्वाज आ. विवाह उपरान्त हमारे गैर निवासस्थानों में मेरा नाम संगीता भारद्वाज के स्थान पर तान्या चानना रख दिया है। अब मुझे मेरे नये नाम तान्या चानना से ही जाना जावे।

पुराना नाम :

नया नाम :

(कु. संगीता भारद्वाज)

(श्रीमती तान्या चानना)

पति श्री अजय चानना,

हुजरात कोतवाली परिसर,

(53-बी.)

लखनऊ, ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

**उप-नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम प्रीति (PREETI) था और अब मेरा नाम प्रीति सिंह (PREETI SINGH) हो गया है। अब भविष्य में मेरे सभी कार्य प्रीति सिंह के नाम से ही होंगे। अतः मुझे प्रीति सिंह के नाम से ही जाना एवं पढ़ा जाए।

यह मैं, सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ।

पुराना नाम :

नया नाम :

(प्रीति)

(प्रीति सिंह)

पति:-कु. प्रीति सिंह पुत्री श्री सुन्दर सिंह,

R.B./I/G/D ईस्ट लेवेल कॉलोनी,

(54-बी.)

बिहान्ट सफारी होटल, ग्वालियर-474002

**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, टी. आर. राजेश सैनी पुत्र स्व. श्री बाबूलाल सैनी, निवासी 18-सैनी भवन, गिलाघंस पेट्रोल पंप के सामने, काजी कैम्प बैरसिया रोड, भोपाल मध्यप्रदेश मैंने अपने नाम के सम्बन्ध एक व्यवहार वाद क्र. 85-ए/05. माननीय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, भोपाल के न्यायालय में घोषणा बाबत कि तुलाराम सैनी उर्फ राजेश सैनी एक ही व्यक्ति का नाम है प्रस्तुत किया था जो दिनांक 12 अप्रैल, 2005 को निरस्त हुआ जिसकी नियमित व्यवस्था अपील क्र. 41 ए/2005 (राजेश सैनी उर्फ तुलाराम सैनी वि. सर्व-साधारण) में माननीय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश महो. (श्री ए. के. पाण्डे) भोपाल ने दिनांक 25 अप्रैल, 2006 को अर्धनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करने हुए अपील स्वीकार की गई एवं यह घोषणात्मक डिक्री दी गई कि राजेश सैनी उर्फ तुलाराम सैनी एक ही व्यक्ति का नाम है।

अतः अब मैं, अपना पूरा नाम निम्नलिखित अनुसार लिखने लगा हूँ, "टी. आर. राजेश सैनी पुत्र स्व. बाबूलाल सैनी निवासी-18, सैनी भवन, गिलाघंस पेट्रोल पंप के सामने, काजी कैम्प, बैरसिया रोड, भोपाल मध्यप्रदेश।

अतः भविष्य में अब मुझे उपरोक्त नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

(टी. आर. राजेश सैनी)

18-सैनी भवन, गिलाघंस पेट्रोल पंप के सामने,

(55-बी.)

काजी कैम्प, बैरसिया रोड भोपाल,

## मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, लिखित परीक्षा-2008

परीक्षा, दिनांक 26 अप्रैल, 2009 (रविवार)

इन्दौर, दिनांक 8 जुलाई, 2009

वि. क्र. 652/17/2009/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित, विज्ञापन क्रमांक-07/परीक्षा/2008, 29 दिसम्बर, 2008 अंतिम तिथि 05 फरवरी, 2009 शुद्धि पत्र क्रमांक 01/7/परीक्षा/2008/दिनांक 11 जनवरी, 2009 में दर्शाये रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन गृह (पुलिस) विभाग के अन्तर्गत सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, लिखित परीक्षा-2008, परीक्षा दिनांक 26 अप्रैल, 2009 (रविवार) प्रातः 10.00 से 12.00 बजे, तक एवं अपरान्ह 3.00 से 5.00 बजे तक परीक्षा केन्द्र—भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर केन्द्र पर आयोजित की गई थी. उपरोक्त लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु अर्ह आवेदकों को परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञप्ति क्रमांक 652/17/2009/अनु.-10, दिनांक 8 जुलाई, 2009 द्वारा घोषित किया गया है. यह परिणाम आयोग कार्यालय के सूचना पटल पर देखने के लिये उपलब्ध है तथा "रोजगार और निर्माण" के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है. इसे आयोग की वेबसाइट [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com) पर देखा जा सकता है. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिये आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षा फल की सूची ही प्रमाणित मानी जाएगी.

2. अर्ह आवेदकों को साक्षात्कार की सूचना पृथक् से प्रेषित की जावेगी. साक्षात्कार दिनांक 17 अगस्त, 2009 से आयोजित किये जायेंगे.

निर्मल उपाध्याय,  
उप-सचिव.

(610)

## MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

## A.D.P. O. EXAMINATION—2008

## ROLL NO. WISE LIST OF ALL SELECTED CANDIDATES FOR INTERVIEW

S. NO.	ROLL NO.	NAME	REMARKS	S. NO.	ROLL NO.	NAME	REMARKS
1.	100010	AGARAWAL SHIKHA		23.	100291	BHARGAVA VIKRAM	
2.	100016	AGRAWAL ANJANA		24.	100325	BHIDE DASHRAT SINGH	
3.	100024	AGRAWAL NIRMAL KUMAR		25.	100352	BORASI ASHOK	
4.	100051	AKHADE BHARATRAJ		26.	100379	CHANCHAL RATHORE	
5.	100056	ALAWA BAL BAHADUR SINGH		27.	100380	CHANDEL DINESH SINGH	
6.	100057	ALAWA PRADEEP SINGH		28.	100395	CHANDWARIA VIMAL KISHORE	
7.	100077	ANARE RAJAMAL SINGH		29.	100423	CHAUHAN KIRTI	
8.	100100	ARYA JYOTI		30.	100433	CHAUHAN SARITA	
9.	100102	ARYA RAJESH SINGH		31.	100476	CHOUDHARY DEEPAK	
10.	100112	AWASTHI AMIT KUMAR		32.	100480	CHOUDHARY HEMWANTI	
11.	100134	BAGHEL JITENDRA SINGH		33.	100487	CHOUDHARY KANHAIYA LAL	
12.	100137	BAGHEL LAL SINGH		34.	100502	CHOUDHARY SUBHASH	
13.	100139	BAGHEL MAHESH KUMAR		35.	100520	CHOUHAN BHUWAN SINGH	
14.	100146	BAGHEL SARIKA		36.	100531	CHOUHAN KRISHAKANT	
15.	100147	BAGRI OMPRAKASH		37.	100548	CHOUHAN PYARELAL	
16.	100192	BANKEY HARIPRASAD		38.	100561	CHOUHAN SANTOSH	
17.	100224	BAURASI KUM. DEEPA		39.	100565	CHOUHAN SEEMA	
18.	100243	BETAV GIRISH		40.	100567	CHOUHAN SHELENDRA	
19.	100244	BETAV NAVIN		41.	100623	DANGI ARCHANA	
20.	100275	BHANWAR HEMLATA		42.	100627	DANGI MAHENDRA	
21.	100280	BHARDWAJ MANISHA		43.	100642	DAWAR CHAHAGAN SINGH	
22.	100290	BHARGAVA UPAMA		44.	100693	DHURVE DILAWAR	

S. NO.	ROLL NO.	NAME	REMARKS	S. NO.	ROLL NO.	NAME	REMARKS
45.	100696	DIMHA SOURABH		93.	101574	LODHI VINOD SINGH	
46.	100704	DIXIT ROHIT		94.	101630	MALU DIPENDRA	
47.	100734	DUBEY AJAY		95.	101672	MANAVARE SHIV	
48.	100765	DUWASHA SIDDHARTHA		96.	101695	MANDLOI SANDEEP	
49.	100783	DWIVEDI VIDYA DHAR		97.	101696	MANDOD RAJENDRA	
50.	100795	GADRIYA SAVAN SINGH		98.	101704	MANOJ	
51.	100823	GARVA NIRBHAY KUMAR		99.	101705	MASANI SANGEETA	
52.	100824	GARWAL SUKHRAM		100.	101739	MECHAN RAJARAM	
53.	100829	GAUTAM KRISHAN KUMAR		101.	101740	MEDA AMAR SINGH	
54.	100837	GAUTAM SMT. SUSHMA		102.	101741	MEDA KAMLESH	
55.	100859	GODHA NIKHIL KUMAR		103.	101742	MEDA PINJULAL	
56.	100909	GOYAL VIVEK KUMAR		104.	101752	MEENA KAMLESH	
57.	100913	GUPTA SANGEETA	PROVL.	105.	101768	MEHDA LAL SINGH	
58.	100920	GUPTA AMITA		106.	101789	MEV MADHULIKA	
59.	100945	GUPTA SACHIN KUMAR		107.	101795	MILAN VINOD KUMAR	
60.	100990	JADHAV SACHIN KUMAR		108.	101798	MIMROT DHARM RAJ	
61.	100992	JADHAW MUNNALAL		109.	101812	MISHRA ASHISH	
62.	101013	JAIN AMIT		110.	101824	MISHRA NEELESH KUMAR	
63.	101015	JAIN AMIT KUMAR		111.	101832	MISHRA RAJESH	
64.	101020	JAIN ANSHUL		112.	101836	MISHRA RITIKA	
65.	101027	JAIN ASHISH KUMAR		113.	101856	MOHAMMAD SAZID	
66.	101028	JAIN AVISARIKA		114.	101869	MOREY SANJAY PAL	
67.	101047	JAIN NILESH		115.	101878	MUJALDE MAHENDRA SINGH	
68.	101057	JAIN PREETI		116.	101888	MUWEL DAYANAND	
69.	101066	JAIN RIPA		117.	101890	MUWEL KALPANA	
70.	101083	JAIN SONU		118.	101957	NIRANJAN HUKUM CHANDRA	
71.	101084	JAIN SUDHEER KUMAR		119.	101976	PAIJWAR SEEMA	
72.	101085	JAIN SUDHIR KUMAR		120.	102013	PANDEY AARTI	
73.	101123	JAMRA DEEPAK KUMAR		121.	102033	PANDEY RAVI PRAKASH	
74.	101125	JAMRA VIJAY SINGH		122.	102044	PANDIT ARUN KUMAR	
75.	101141	JAT SUNIL KUMAR		123.	102055	PANIKA SAVITA	
76.	101147	JATAV BHUPENDRA KUMAR		124.	102137	PARMAR SHYAM KUMAR	
77.	101223	KABRA VISHAL		125.	102138	PARMAR SUNIL	
78.	101253	KANASE DIPTI		126.	102152	PARWAR OM PRAKASH	
79.	101254	KANASH KESHRIKAL	PROVL.	127.	102153	PASTARIYA SONALI	
80.	101256	KANEL BHARAT SINGH		128.	102157	PATEL ANIL KUMAR	
81.	101270	KAROLE SANTOSH		129.	102170	PATEL KASHI RAM	PROVL
82.	101275	KASEDIYA GANESH PAL SINGH		130.	102172	PATEL MANISHA	
83.	101288	KATARA KUL SINGH		131.	102183	PATEL RAGHVENDRA	
84.	101328	KHAN ARIF		132.	102204	PATHAK ARTI	
85.	101352	KHAN MEERA		133.	102326	PORWAL REKHA	
86.	101397	KHAN SHOAIB		134.	102365	PUSAM KANTA	
87.	101398	KHAN TAHIR		135.	102376	QURESHI JULFAKER	
88.	101434	KHATRI GIRJESH		136.	102480	RATHOR HEMANT KUMAR	
89.	101440	KHER BHARAT SINGH		137.	102502	RATHORE JYOTI	
90.	101461	KOL RAVIND		138.	102516	RATHORE PRATIBHA SINGH	
91.	101519	KUNHARE MUKESH KUMAR					
92.	101521	KURIL SUNIL					

S. NO.	ROLL NO.	NAME	REMARKS	S. NO.	ROLL NO.	NAME	REMARKS
139.	102547	RAWAT SANJAY		183.	103848	AHIRWAR VINDO KUMAR	
140.	102549	RAWAT SHAMU		184.	103899	ARYAYAN JAYSHREE	
141.	102562	RIZVI SARFUDDIN		185.	103911	ATULKAR RAVINDRA	
142.	102602	SAIYAM MANOJ KUMAR		186.	104238	CHOURE SOHAN LAL	
143.	102627	SANODIA RAKESH		187.	104258	DANGI DHERENDRA PRATAP SINGH	
144.	102749	SHARMA GIRISH		188.	104311	DHAKED RAGHVENDRA PH PRATAP SINGH	
145.	102849	SHARMA SUSHIL KUMAR		189.	104328	DHURWEY YASHWANT SINGH	
146.	102896	SHRIVAS KAMLESH		190.	104427	DWIVEDI RISHIRAJ	
147.	103022	SISODIA GOKUL SINGH		191.	104474	GHOSH SACHIN KUMAR	
148.	103042	SISODIYA PRIYANKA		192.	104529	GUPTA ANJU	
149.	103051	SITOLE MAHENDRA		193.	104531	GUPTA ANOOP	
150.	103071	SOLANKI BUDE SINGH		194.	104533	GUPTA ARTI	
151.	103072	SOLANKI DASHRATH SINGH		195.	104625	JAIN ANUPAM	
152.	103073	SOLANKI DEVENDRA		196.	104626	JAIN ANURAG KUMAR	
153.	103091	SOLANKI PAWAN KUMAR		197.	104698	JHA BHARAT BHOOSHAN	
154.	103102	SOLANKI SANDHYA		198.	104745	KASAVA LAXMI	
155.	103107	SOLANKI SHAILEDNRA SINGH		199.	104905	KUMAR DHEERAJ	
156.	103117	SOLANKI VISHNU PRASAD		200.	104926	KUMRE SUNANDA	
157.	103120	SOLANKY MAHENDA SINGH		201.	105046	MALVIYA DINESH KUMAR	
158.	103158	SONI MONIKA		202.	105083	MANJU KAUSHIK	
159.	103218	SUMAN SURBHI SINGH		203.	105089	MANSARE ARACHANA	
160.	103221	SUNHARE SANJAY		204.	105091	MANSARE PRAVIN	
161.	103287	THAKUR BHARAT SINGH		205.	105099	MARAN RITU	
162.	103288	THAKUR CHAUP SINGH		206.	105112	MAURYA SHARDA	
163.	103307	THAKUR REWAT SINGH		207.	105144	MISHRA AKATA	
164.	103337	TIWARI DHARMENDRA		208.	105271	NAMDAV SUNIL KUMAR	
165.	103364	TIWARI RAJGAURAV		209.	105361	PANDEY ADITYA	
166.	103371	TIWARI SANDEEP		210.	105365	PANDEY AMBUJ	
167.	103373	TIWARI SANTOSH KUMAR		211.	105382	PANDEY HEMANT KUMAR	
168.	103402	TORNIYA RAJ KUMAR		212.	105383	PANDEY KAMLESHWAR	
169.	103417	TRIVEDI CHANDRA BHAN		213.	105385	PANDEY LALJI	
170.	103432	UIKE RITU SHREE		214.	105426	PARASHAR PRASHANT	PROV
171.	103434	UIKEY GAJENDRA		215.	105457	PARTE JAGDISH KUMAR	
172.	103439	UPADHYAY ALOK		216.	105482	PATEL KUMARI VANDANA	
173.	103471	VAIDYA VARSHA		217.	105628	RAGHUWANSHI PANKAJ	
174.	103477	VAIRAGI SURAJ		218.	105715	RAJGIR VANDANA PH	PROVL
175.	103498	VARMA MANOJ KUMAR		219.	105777	RANKAUSHAL KIRAN	
176.	103511	VASKEL JASSU		220.	105857	SAHU KAMLESH	
177.	103512	VASUNIYA SANJAY KUMARI		221.	105913	SARAWGI SANDEEP	
178.	103516	VERMA AJAY		222.	105917	SARYAM SHEETAL	
179.	103681	YADAV DHARMENDRA		223.	105923	SAWASIYA JAG JEEVAN RAM	
180.	103693	YADAV HARSHINEE		224.	105979	SHAH VINAYAK PRASAD	
181.	103806	AGRAWAL SONU		225.	105998	SHARMA ANNAPURNA	
182.	103842	AHIRWAR SEEMA		226.	106047	SHARMA NIDHI	
				227.	106053	SHARMA PRACHI	

S. NO.	ROLL NO.	NAME	REMARKS	S. NO.	ROLL NO.	NAME	REMARKS
228.	106085	SHARMA SATISH		275.	107506	BOPCHE PRAPHULL KUMAR	
229.	106111	SHASTRI TRILOK RAJ		276.	107517	BUNDELA ABHISHEK	
230.	106125	SHILPI RAVINDRA KUMAR		277.	107600	CHAUBEY ANJU	
231.	106163	SHRIVASTAVA ASHISH KUMAR		278.	107615	CHAUHAN MUKESH SINGH	
232.	106192	SHRIVASTAVA RACHNA		279.	107630	CHAUHAN VRINDA	
233.	106211	SHRIVASTAVA SHWETA		280.	107647	CHICHKEDE JITENDRA KUMAR	
234.	106238	SHUKLA ARTI		281.	107725	CHOUHAN ROSER	
235.	106318	SINGH BHISHMA PRATAP		282.	107736	CHOURASE RAKESH KUMAR	
236.	106374	SINGH PRAMOD KUMAR		283.	107740	CHOURASIA KIRAN KUMARI	
237.	106391	SINGH RANVIJAY		284.	107771	DAHERIYA GANGAVATI	
238.	106413	SINGH SHASHI KANT		285.	107780	DANGI ARVIND SINGH	
239.	106416	SINGH SHIVENDRA PRATAP		286.	107781	DANGI LALARAM	
240.	106531	SONI UMESH		287.	107784	DAS KOORESH RAMANUJ	
241.	106542	SRIVASTAVA AMIT KUMAR		288.	107792	DEHARIA MITHILESH	
242.	106550	SRIVASTAVA MANISH KUMAR		289.	107854	DIWAN RANJANA	
243.	106561	SULTANA UZMA		290.	107914	DUBEY LOKESH KUMAR	
244.	106607	THAKUR CHHTRAPAL SINGH		291.	107952	DUBEY SHASHI KANT	
245.	106697	TIWARI PRAMOD KUMAR		292.	108140	GARG SURENDRA KUMAR	
246.	106742	TIWARI YOGESH		293.	108244	GUPTA ARVIND KUMAR	
247.	106749	TOMAR NEETIKA		294.	108250	GUPTA BABITA	
248.	106757	TRIPATHI ANAND KUMAR		295.	108346	HAJARE PRAVEEN	
249.	106777	TRIPATHI MANOJ KUMAR		296.	108558	KAMALUDDIN	
250.	106794	TRIPATHI SHIVA KANT		297.	108569	KAPLE AARTI	
251.	106811	UIKEY MAHIPAL KUMAR		298.	108600	KESHARI CHADNRA PRAKASH PH	
252.	106812	UJJALIYA BHARTI		299.	108743	KHARE SHAKTI	
253.	106823	UPADHAYAY UMESH KUMAR		300.	108772	KORI HARI SHANKAR	
254.	106860	VARMA MADHU SUDAN		301.	108805	KULHARA KU BAVITA	
255.	106976	YADAV CHAUHAN SINGH		302.	108920	KUMARI RANJEETA	
256.	106979	YADAV DEEPA		303.	109121	MARKO SUJEET	
257.	107023	YADAV PRASHANN		304.	109122	MARKO SUK LAL	
258.	107029	YADAV RAJBEER SINGH		305.	109272	MISHRA MANVENDRA	
259.	107053	YADAV SHRIRAM		306.	109289	MISHRA PARTOSH KUMAR	
260.	107063	YADAV VIPENDRA SINGH		307.	109293	MISHRA PRADEEP KUMAR	
261.	107083	ADIDEV		308.	109322	MISHRA RAKESH KUMAR	
262.	107090	AGNIHOTRI JEETENDRA KUMAR		309.	109348	MISHRA SATYA NARAYAN	
263.	107113	AGRAWAL PREETISHIKHA		310.	109380	MISHRA SUSHIL KUMAR	
264.	107129	AHIRWAR CHANDRABHAN		311.	109459	NAGLE ARUNA	
265.	107156	AHIRWAR VIJAY		312.	109460	NAGLE ASHISH	
266.	107160	AHMAD NADEEM	PROVI	313.	109722	PANDEY KAPIL	
267.	107230	ANTHONY RAKESH KUMAR		314.	109732	PANDEY MANISH	
268.	107234	ARCHANA PATEL		315.	109740	PANDEY MUKESH KUMAR	
269.	107237	ARIHA UMA		316.	109793	PANDEY SANJEEV	
270.	107355	BAIS KULDEEP SINGH		317.	109992	PATEL NEENA	
271.	107360	BAJPAI AMIT KUMAR		318.	110057	PATEL SNEHLATA	
272.	107404	BARLAL ARVIND KUMAR		319.	110069	PATEL TEEKARAM	
273.	107443	BHALAWI NIRMALA		320.	110083	PATHAK AMIT KUMAR	
274.	107461	BHARTIYA SHRAOOHA		321.	110146	PILLAY NAVITA	
				322.	110160	PRAJAPATI HIRALAL	

S.NO.	ROLL-NO.	NAME	REMARKS	S.NO.	ROLL-NO.	NAME	REMARKS
323.	110165	PRAJAPATI KISHORI LAL		368.	112237	UIKEY BHARTI	PROVL
324.	110210	PURI RAJESH		369.	112242	UIKEY PRADEEP KUMAR	
325.	110220	QAMAR JABI		370.	112263	UPADHAYAY NARENDER KUMAR	
326.	110229	RAGHUVANSHI DEVENDRA SINGH		371.	112277	KUPADHYAY NISHA	
327.	110249	RAI GEETA		372.	112278	UPADHYAY PARMANAND	
328.	110335	RAJPOOT UWAPNASHREE		373.	112320	VARMA PANKAJ KUMAR	
329.	110363	RAJVI MOHD NEYAMAT HUSAIN		374.	112339	VERMA BRIJ KISHOR	
330.	110476	SAGAR VIDHANAND		375.	112416	VERMA VINOD KUMAR	
331.	110534	SAHU SACHIN KUMAR		376.	112524	YADAV DEVENDRA KUMAR	
332.	110635	SAXENA RAJESH KUMAR		377.	112608	YADAV SANJAY KUMAR	
333.	110726	SHARMA ANIL KUMAR	PH	378.	112683	AGRAWAL ANJLI	
334.	110874	SHRIVASTAVA NITIN KUMAR		379.	112687	AGRAWAL GAURAV	
335.	110895	SHRIVASTAVA ALOK		380.	112696	AGRAWAL PUSHPENDRA KUMAR	
336.	110921	SHRIVASTAVA POOJA		381.	112700	AGRAWAL RASHMI	
337.	111041	SHUKLA PRAMOD KUMAR		382.	112704	AGRAWAL SATISH KUMAR	
338.	111105	SHUKLA YOGENDRA KUMAR		383.	112706	AGRAWAL SMT SUDHA	
339.	111136	SINGH AJAY KUMAR		384.	112745	AJAY SHANKAR	
340.	111230	SINGH DHARMENDRA		385.	112751	ALAM FIROZ	
341.	111286	SINGH KUNWAR RATNESH		386.	112851	ATHANERE GITA	
342.	111293	SINGH LOVEKESH		387.	112863	AWASTHI SANCHITA	
343.	111296	SINGH MAHENDRA PRATAP		388.	112889	BAJAJ SAVITA	PROVL
344.	111302	SINGH MANISHA		389.	112891	BAJOLIYA HEMANT	
345.	111321	SINGH NAGENDRA KUMAR		390.	112920	BANSAL MANISHA	
346.	111327	SINGH NAVAL KISHOR		391.	112938	BEGUM NASEEMA	
347.	111360	SINGH RAHUL		392.	112942	BHADRASEN PRIYADARSHI	
348.	111398	SINGH SANJAY		393.	113001	BHANDARI RITA	
349.	111404	SINGH SANJIV KUMAR		394.	113006	BHARDWAJ MAYANK	
350.	111443	SINGH SNEHA	PROVL	395.	113022	BHARGAVA NEERAJ	
351.	111532	SONDHIYA DEEPAK KUMAR		396.	113084	CHANDEL SNEH LATA	
352.	111533	SONDHIYA JAI KUMAR		397.	113093	CHANDRA UMESH	
353.	111612	SONI RAKESH KUMAR		398.	113148	CHAUHAN ANURAG	
354.	111672	SRIVASTAV DEEPAK KUMAR		399.	113167	CHAUHAN RUPESH KANT	
355.	111791	THAKUR KU. SARITA		400.	113174	CHAUHAN SUDHA	
356.	111828	TRIPATHI MANI AMIT		401.	113202	CHHARI AMIT KUMAR	
357.	111846	TIWARI AMIT KUMAR		402.	113233	DAHAL ANIL KUMAR	
358.	111857	TIWARI ANUP KUMAR		403.	113267	DHAKAD BALBIR SINGH	
359.	111905	TIWARI DHARMENDRA KUMAR	PROVL	404.	113268	DHAKAD BEERBAL SINGH	
360.	111919	TIWARI JATIN		405.	113331	DOODH NATH	
361.	111936	TIWARI LAKHAN LAL		406.	113339	DUBEY ASHISH	
362.	112040	TIWARISHANKARESHWAR PRASAD		407.	113355	DUBEY MAHESHWAR	
363.	112057	TIWARI SONALI		408.	113377	DUBEY SUNIL KUMAR	
364.	112110	TRIPATHI ANUPAM KUMAR		409.	113380	DUBEY SURVESH	
365.	112128	TRIPATHI HARI KRISHANA		410.	113385	DUNARAYA PREM PRAKASH	PROVL
366.	112183	TRIPATHI SATISH MANI		411.	113391	DWARG DEVENDRA	
367.	112236	UIKEY BHAGVAT		412.	113481	GAUTAM PRATIBHA	



डाक व्यव को पूर्व-अदायगी के बिना  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत,  
अनुमति-पत्र, ग्वालियर सम्भाग,  
एम. पी.- 19- ग्वालियर- 2008-10



पंजी. क्र. ग्वालियर डिवीजन  
एम.पी.-19- ग्वालियर-2008-10

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 मई 2008-वैशाख 26, शके 1930

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल, 2008

प्रारूप-पन्द्रह

[नियम 18 (3) देखिये]

क्र. 49/1-11/भोविप्रा/08.—कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (4) के अधीन भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल पूर्व में विकसित पंचशील नगर योजना खसरा क्रमांक 1499 क्षेत्रफल 26.60 एकड़ में से 1429.0 वर्गमीटर पर स्थित पुरानी दुकानों को तोड़कर नवीन व्यवसायिक सह आवासीय कोष्ठों का निर्माण के लिए यथा अनुमोदित उक्त योजना को सर्व-साधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और स्कीम की प्रतियां निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं,

अर्थात्—

1. कलेक्टर, जिला भोपाल.
2. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, पर्यावास परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.
3. आयुक्त, नगर निगम, भोपाल.
4. कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, प्रगति भवन, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल.

उक्त नगर विकास स्कीम राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से प्रवर्तित होगी.

(9-बी.)

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल, 2008

प्रारूप-पन्द्रह

[नियम 18 (3) देखिये]

क्र. 50/1-11/भोविप्रा/08.—कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (4) के अधीन भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल द्वारा सेकेण्ड स्टाप स्थित

एम.पी.ई.बी. कार्यालय के पास स्थित अस्थायी दुकानों को तोड़कर नवीन दुकानें एवं व्यवसायिक हाल के निर्माण के लिए यथा अनुमोदित उक्त योजना को सर्व-साधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और स्कीम की प्रतियां निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं,

अर्थात्—

1. कलेक्टर, जिला भोपाल.
2. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, पर्यावास परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.
3. आयुक्त, नगर निगम, भोपाल.
4. कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, प्रगति भवन, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल.

उक्त नगर विकास स्कीम राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से प्रवर्तित होगी.

(9-A-बी.)

भोपाल, दिनांक 1 मई, 2008

प्रारूप-पन्नाह

[नियम 18 (3) देखिये]

क्र. 113/02/भोविप्रा/08.—कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (4) के अधीन निवेश क्षेत्र के लिये यथा अनुमोदित नगर विकास स्कीम को सर्व-साधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और उक्त स्कीम की प्रतियां निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं, अर्थात्—

ग्राम का नाम	खसरा नंबर	पूर्ण रकबा (एकड़ में)	पूर्व में निर्मित रकबा (एकड़ में)	शेष रकबा जिस पर योजना प्रस्तावित है (एकड़ में)
अमरावद खुर्द	61/1 एवं 1/2	62.15	29.55	32.60

1. भोपाल विकास प्राधिकरण, प्रगति भवन, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल.
2. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.
3. आयुक्त, नगर निगम, भोपाल.

उक्त नगर विकास स्कीम राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से प्रवर्तित होगी.

(10-बी.)

एम. जी. रुसिया,  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

मैं, अन्नपूर्णा जोशी, निवासी—2, रामचन्द्र सेठ की गली, सराफा नगर, उज्जैन (मध्यप्रदेश) भविष्य में समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय विभागों, बैंकों व शेर्यर्स आदि व्यवहार में अपना नाम अन्नपूर्णा शर्मा करना चाहती हूँ. भविष्य में मेरा उपनाम जोशी के बजाय शर्मा ही जाना पहचाना एवं व्यवहार किया जावे. भविष्य में मेरा सम्पूर्ण नाम अन्नपूर्णा शर्मा होगा.

पुराना नाम :

(अन्नपूर्णा जोशी)

(11-बी.)

नया नाम :

(अन्नपूर्णा शर्मा)

**उपनाम परिवर्तन**

इस सूचना के द्वारा सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री शांतराम गुद्धे पिता पुंडलिक गुद्धे, उम्र-44 वर्ष, निवासी—संतोषी माता वार्ड, पांडुरना, तहसील-पांडुरना, जिला-छिंदवाड़ा का स्थायी निवासी है। मेरा पक्षकार अपना नाम शांतराम गुद्धे पिता पुंडलिक गुद्धे (Shantram Guddhe S/o Pundlik Guddhe) लिखता है और यही नाम बचपन से प्रचलन में है और इसी नाम से मेरा पक्षकार जाना पहचाना जाता है।

मेरे पक्षकार का नाम हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा वर्ष 1983 में उत्तीर्ण की थी, जिसमें मेरे पक्षकार का सरनेम Guddhe के स्थान पर Gudhe त्रुटिवश लिखा दिया गया जो मेरे पक्षकार को उसकी अंकसूची और प्रमाण-पत्र में भी लिखा गया। मेरे पक्षकार ने इस त्रुटि को सुधारने के लिए विधिवत् आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया और उसे सुधारकर Gudhe के स्थान पर Guddhe लिखा गया।

मेरे पक्षकार ने जहां भी यह अंकसूची और प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया उसमें मेरे पक्षकार का दुरुस्त किया गया सरनेम ही पढ़ा जावे और समझा जावे।

के. के. देशमुख,

अधिवक्ता,

त. पांडुरना, जिला छिंदवाड़ा।

(12-बी.)

**कार्यालय मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल**

पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मई, 2008

**संशोधन**

क्र. 70.—मध्यप्रदेश राजपत्र भोपाल भाग 3 (1) दिनांक 8 फरवरी, 2008 में प्रकाशित मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशालाएं अधिसूचित की गई थीं। उक्त अधिसूचना के प्रथम पैरा में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 16 (2) की उप-धारा 3 के स्थान पर जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17 (2) एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 17 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निम्नलिखित अनुसूची-1 में दर्शाये गये स्थानों पर बोर्ड की प्रयोगशालाएं स्थापित करता है, पढ़ा जावे।

बिन्दु क्र. 4 में उल्लेखित विश्लेषण दरें, अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से लागू होंगी।

के स्थान पर

विश्लेषण दरें दिनांक 20 सितम्बर, 2007 से लागू होंगी। पढ़ा जावे।

अनुसूची-1

सैम्पलिंग व विश्लेषण प्रभारों की अनुसूची

के स्थान पर

अनुसूची-2

सैम्पलिंग व विश्लेषण प्रभारों की अनुसूची पढ़ा जावे।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. जैन,

सदस्य सचिव।

(13-बी.)

क्र. 1315.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक-6/1974) की धारा 12 की उप-धारा 3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी)

(भरती तथा सेवा शर्तें) विनियम 1996 की कंडिका 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूची-1 संशोधन किया जाता है :-

(1) अनुसूची-एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्—

**"अनुसूची-एक"**

(विनियम-5 देखिये)

**सेवा में वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या**

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान रुपये
1	2	3	4	5
<b>यांत्रिकी सेवायें</b>				
1.	अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण)	9	प्रथम श्रेणी	12000-375-16500/-
2.	अधीक्षण यंत्री (खनिज)	1	प्रथम श्रेणी	12000-375-16500/-
3.	कार्यपालन यंत्री (पर्यावरण)	13	प्रथम श्रेणी	10000-325-15200/-
4.	सहायक यंत्री (पर्यावरण)	27	द्वितीय श्रेणी	8000-275-13500/-
<b>वैज्ञानिक सेवायें</b>				
1.	मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	14300-400-18300/-
2.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	4	प्रथम श्रेणी	12000-375-16500/-
3.	मुख्य रसायनज्ञ	21	प्रथम श्रेणी	10000-325-15200/-
4.	वैज्ञानिक	40	द्वितीय श्रेणी	8000-275-13500/-
5.	पर्यावरण-भू-वैज्ञानिक	1	द्वितीय श्रेणी	8000-275-13500/-
<b>प्रशासन एवं लेखा</b>				
1.	वित्त अधिकारी	1	प्रथम श्रेणी	10000-325-15200/-
2.	अनुभाग अधिकारी	4	द्वितीय श्रेणी	8000-275-13500/-
3.	शीघ्रलेखक ग्रेड-1	4	द्वितीय श्रेणी	8000-275-13500/-
<b>जनसंपर्क सेवायें</b>				
1.	लाइब्रेरियन	1	द्वितीय श्रेणी	8000-275-13500/-
2.	सामाजिक पर्यावरण सर्वेक्षक	1	द्वितीय श्रेणी	8000-275-13500/-
<b>विधिक सेवायें</b>				
1.	विधि सलाहकार	1	प्रथम श्रेणी	प्रतिष्ठित अधिवक्ता की सेवायें अनुबंध के आधार पर ली जावेंगी.
2.	सहायक विधि अधिकारी	1	द्वितीय श्रेणी	8000-275-13500/-
<b>कम्प्यूटर सेवा</b>				
1.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर/ऑपरेटर	4	द्वितीय श्रेणी	8000-275-13500/-

क्र. 1316.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक-6/1974) की धारा 12 की उप-धारा 3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी)

(भरती तथा सेवा शर्तों) विनियम 1996 की कंडिका 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूची-1 संशोधन किया जाता है :-

(1) अनुसूची-एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्—

**“अनुसूची-एक”**

(विनियम-5 देखिये)

**सेवा में वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या**

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान रुपये
1	2	3	4	5
<b>यांत्रिकी सेवायें</b>				
1.	मुख्य मानचित्रकार	1	तृतीय श्रेणी	5000-150-8000/- (रु. 75/- विशेष वेतन)
2.	उपयंत्री	5	तृतीय श्रेणी	5000-150-8000/-
3.	मानचित्रकार	3	तृतीय श्रेणी	5000-150-8000/- (रु. 25/- विशेष वेतन)
4.	सहायक मानचित्रकार	6	तृतीय श्रेणी	4000-100-6000/-
5.	अनुरेखक	11	तृतीय श्रेणी	3050-75-3950-80-4590/-
<b>वैज्ञानिक सेवायें</b>				
1.	कनिष्ठ वैज्ञानिक/ऑपरेटर सहायक	20	तृतीय श्रेणी	6500-200-10500/-
2.	रसायनज्ञ	71	तृतीय श्रेणी	5500-175-9000/-
3.	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-1	25	तृतीय श्रेणी	4000-100-6000/-
4.	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2/सैम्पलर	24	तृतीय श्रेणी	3050-75-3950-80-4590/-
<b>प्रशासन एवं लेखा</b>				
1.	अधीक्षक/वरिष्ठ लेखापाल	7	तृतीय श्रेणी	6500-200-10500/-
2.	सहा. अधीक्षक/लेखापाल/अंकेक्षण	21	तृतीय श्रेणी	5500-175-9000/-
3.	उच्च श्रेणी लिपिक/लेखा लिपिक	30	तृतीय श्रेणी	4000-100-6000/-
4.	शीघ्रलेखक ग्रेड-2	13	तृतीय श्रेणी	6500-200-10500/-
5.	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	19	तृतीय श्रेणी	5500-175-9000/-
6.	स्टेनो टायपिस्ट/निम्न श्रेणी लिपिक	58	तृतीय श्रेणी	3050-75-3950-80-4590/-
7.	मैकेनिक	1	तृतीय श्रेणी	4000-100-6000/-
8.	वाहन चालक	34	तृतीय श्रेणी	3050-75-3950-80-4590/-
9.	सुपरवाइजर ग्रेड-1	1	तृतीय श्रेणी	4000-100-6000/-
10.	सुपरवाइजर ग्रेड-2	3	तृतीय श्रेणी	3050-75-3950-80-4590/-
11.	इलेक्ट्रीशियन	1	तृतीय श्रेणी	3050-75-3950-80-4590/-
12.	कृषि सहायक	1	तृतीय श्रेणी	5000-150-8000/-
<b>जनसम्पर्क सेवायें</b>				
1.	प्रचार सहायक	2	तृतीय श्रेणी	5000-150-8000/-

1	2	3	4	5
	<b>विधिक सेवायें</b>			
1.	विधि सहायक ग्रेड-1	1	तृतीय श्रेणी	6500-200-10500/-
2.	विधि सहायक ग्रेड-2	1	तृतीय श्रेणी	5000-150-8000/-
	<b>कम्प्यूटर सेवा</b>			
1.	डाटा सहायक ग्रेड-1	2	तृतीय श्रेणी	6500-200-10500/-
2.	डाटा सहायक ग्रेड-2	2	तृतीय श्रेणी	5000-150-8000/-
3.	डाटा एन्री ऑपरेटर	7	तृतीय श्रेणी	4000-100-6000/-

क्र. 1317.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक-6/1974) की धारा 12 की उप-धारा 3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (चतुर्थ श्रेणी) (भरती तथा सेवा शर्तों) विनियम 1996 की अनुसूची-1 संशोधन किया जाता है :—

(1) अनुसूची-एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्—

**“अनुसूची-एक”**

(विनियम-2 देखिये)

**सेवा में वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या**

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान रुपये
1	2	3	4	5
1.	प्रयोगशाला परिचारक	75	चतुर्थ श्रेणी	2750-70-3800-75-4400/-
2.	टेलीफोन अटेंडेन्ट	1	चतुर्थ श्रेणी	2610-60-3150-65-3540/-
3.	दफ्तरी	22	चतुर्थ श्रेणी	2610-60-3150-65-3540/-
4.	चपरासी/चौकीदार	157	चतुर्थ श्रेणी	2550-55-2660-60-3200/-
5.	स्वीपर	12	चतुर्थ श्रेणी	2550-55-2660-60-3200/-

(14-बी.)

#### OFFICE OF MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, BHOPAL

No. 1315.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-Section 3 of Section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) the Madhya Pradesh Pollution Control Board, with the prior approval of the State Government, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Pollution Control Board Service (Class I and II) (Recruitment and Conditions) of Service Regulation 1996.

(1) For Schedule-1 the following of Schedule shall be substituted, namely :—

**“SCHEDULE-1”**

(See Regulation-5)

S.No.	Post included in the service	Total numbers of post	Classification	Scale of pay (Rs.)
1	2	3	4	5
1.	<b>I. Engineering Services</b>			
	1. Superintending Engineer (Environment)	9	Class-I	12000-375-16500

1	2	3	4	5
2. Superintending Engineer (Mining)	1	Class-I	12000-375-16500	
3. Executive Engineer (Environment)	13	Class-I	10000-325-15200	
4. Assistant Engineer (Environment)	27	Class-II	8000-275-13500	
<b>2. Scientific Services</b>				
1. Chief Scientific Officer	1	Class-I	14300-400-18300	
2. Senior Scientific Officer	4	Class-I	12000-375-16500	
3. Chief Chemist	21	Class-I	10000-325-15200	
4. Scientist	40	Class-II	8000-275-13500	
5. Scientist (Geology)	1	Class-II	8000-275-13500	
<b>3. Establishment &amp; Accounts</b>				
1. Finance Officer	1	Class-I	10000-325-15200	
2. Section Officer	4	Class-II	8000-275-13500	
3. Stenographer Grade-I	4	Class-II	8000-275-13500	
<b>4. Public Relation</b>				
1. Librarian	1	Class-II	8000-275-13500	
2. Social Environment Surveyor	1	Class-II	8000-275-13500	
<b>5. Legal Services</b>				
1. Legal Advisor	1	Class-I	A reputed practitioner to be engaged on contact basis.	
2. Assistant Legal Officer	1	Class-II	8000-275-13500	
<b>6. Computer Services</b>				
1. Computer Programmer/Operator	4	Class-II	8000-275-13500	

No. 1316.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-Section 3 of Section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) the Madhya Pradesh Pollution Control Board, with the prior approval of the State Government, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Pollution Control Board Service (Class III) (Recruitment and Conditions) of Service Regulation 1996.

(1) For Schedule-1 the following of Schedule shall be substituted, namely :—

**“SCHEDULE-1”**

*(See Regulation-5)*

S.No.	Post included in the service	Total numbers of post	Classification	Scale of pay (Rs.)
1	2	3	4	5
<b>1. I. Engineering Services</b>				
1. Head Draftsman	1	Class-III	5000-150-8000 (Special pay Rs. 75.00)	

1	2	3	4	5
	2. Sub Engineer	5	Class-III	5000-150-8000
	3. Draftsman	3	Class-III	5000-150-8000 (Special pay Rs. 25.00)
	4. Assistant Draftsman	6	Class-III	4000-100-6000
	5. Tracer	11	Class-III	3050-75-3950-80-4590
<b>2.</b>	<b>Scientific Services</b>			
	1. Junior Scientist/ Assistant Operator	20	Class-III	6500-200-10500
	2. Chemist	71	Class-III	5500-175-9000
	3. Lab Assistant Grade-I	25	Class-III	4000-100-6000
	4. Lab Assistant Grade-II/ Sampler	24	Class-III	3050-75-3950-80-4590
<b>3.</b>	<b>Establishment &amp; Accounts</b>			
	1. Superintendent/ Senior Accountant	7	Class-III	6500-200-10500
	2. Assistant Superintendent/ Accountant/Auditor	21	Class-III	5500-175-9000
	3. Upper Division Clerk/ Accounts Clerk	30	Class-III	4000-100-6000
	4. Stenographer Grade-II	13	Class-III	6500-200-10500
	5. Stenographer Grade-III	19	Class-III	5500-175-9000
	6. Steno Typist/ Lower Division Clerk	58	Class-III	3050-75-3950-80-4590
	7. Mechanic	1	Class-III	4000-100-6000
	8. Vehicle Driver	34	Class-III	3050-75-3950-80-4590
	9. Supervisor Grade-I	1	Class-III	4000-100-6000
	10. Supervisor Grade-II	3	Class-III	3050-75-3950-80-4590
	11. Electrician	1	Class-III	3050-75-3950-80-4590
	12. Agriculture Assistant	1	Class-III	5000-150-8000
<b>4.</b>	<b>Public Relation</b>			
	1. Publicity Assistant	2	Class-III	5000-150-8000
<b>5.</b>	<b>Legal Services</b>			
	1. Legal Assistant Grade-I	1	Class-III	6500-200-10500
	2. Legal Assistant Grade-II	1	Class-III	5000-150-8000
<b>6.</b>	<b>Computer Services</b>			
	1. Data Assistant Grade-I	2	Class-III	6500-200-10500
	2. Data Assistant Grade-II	2	Class-III	5000-150-8000
	3. Data Entry Operator	7	Class-III	4000-100-6000



5. नगरपालिका क्षेत्र में जल प्रदाय टंकी की समय-समय पर सफाई तथा उचित मात्रा में क्लोरीन जलशुद्धीकरण के लिए काम में लाये जावे।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में नाले, तालाब, अस्वच्छ कुओं, बावड़ियों का पानी पीने के काम में नहीं लाया जावे, हैंडपम्प का पानी ही पीने के उपयोग में लाया जावे, ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों की प्रति सप्ताह नियमित ब्लीचिंग पावडर डालकर जल का उपयोग करें।
7. इस आदेश द्वारा प्रतिबन्धित अवधि में घोषित अधिसूचना क्षेत्र में या उसके बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण दो (एक) में उल्लेखित वस्तुओं तथा तैयार एवं पकाये हुए भोजन को न तो लायेगा न ले जावेगा का आदेश द्वारा प्रतिबन्धित अवधि में घोषित अधिसूचना के लिए किसी भी बाजार, भवन, दुकान अथवा खाने-पीने की किसी भी वस्तु के विक्रय या विमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थान में प्रत्येक के प्रवेश करने, निरीक्षण करते समय उसमें विद्यमान ऐसी वस्तु की जांच पड़ताल करें तथा खाने-पीने की ऐसी वस्तुओं का जो मानव उपयोग के लिए अभिशाप है, जो दूषित या अनुपयुक्त है, तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 90 एवं 63 में उल्लेखित की हुई पायी गई, अस्वास्थ्यकर, दूषित व अनुपयुक्त वस्तुओं के अधिग्रहण करने, हटाने व नष्ट करने या उसका ऐसी रीति के निर्वहण करने के लिए जिसमें वह मानव द्वारा उपयोग में लाये जाने से रोकी जा सके।

अधिसूचित क्षेत्रों में निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करता हूँ :-

1. अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला धार.
2. समस्त कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यपालन दण्डाधिकारी, जिला धार.
3. ऐसे चिकित्सा पदाधिकारी जो सहायक चिकित्सक के पद से नीचे के न हों.
4. आरक्षी पदाधिकारी जो प्रधान आरक्षक की श्रेणी से नीचे न हो.
5. नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक एवं समस्त.
6. मुख्य नगरपालिका अधिकारी (समस्त).

नालियों, घरों के गड्ढों, पोखरों, मल-संडासों, सक्रांत वस्तुओं, बिस्तरों, कूड़ा-करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाते वस्तु स्थान को स्वच्छ और रोग कीटाणु में उनका निर्वर्तन अथवा उसके सम्बन्ध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने से सम्बन्धित आदेश दे सकेंगे. स्थानीय निकायों में कार्यपालन अधिकारी इस आदेश तथा विदित प्राधिकारियों द्वारा किए गए आदेशों का पालन तत्काल सुनिश्चित करेंगे.

यह आदेश जारी दिनांक से प्रभावशील होंगे तथा आगामी छः माह की अवधि तक या अन्य आदेश तक जो भी हो प्रभावशील रहेंगे.

(264)

राजकुमार पाठक,  
कलेक्टर

## निविदा सूचनाएं

(लेखन एवं अन्य सामग्री)

भोपाल, दिनांक 9 मई, 2008

क्र. जी.बी. चार/स्टे. (1) 2008-2009/1670. -- वर्ष 2008-2009 में मध्यप्रदेश शासन के विभागों के उपयोग में आने वाले लेखन एवं अन्य सामग्री की क्रय हेतु मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं. लेखन-सामग्री के लिये सीधे निर्माता या उनके अधिकृत एजेंट/डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स निविदा में भाग ले सकते हैं. कुल मांग का (प्रति आयटम) 30% क्रय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मध्यप्रदेश के व्यवसायियों/उद्यमियों से मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक एफ-6-43/03/11अ, दिनांक 16-6-2003 अनुसार किया जायेगा.

2. क्रय किए जाने वाले लेखन एवं अन्य सामग्री का विवरण, अनुमानित आवश्यकता, शर्तों एवं अनुबन्ध का प्रारूप निविदा फॉर्म में दिया गया है. रॉ-मैटीरियल का प्रदाय, लेखन-सामग्री का प्रदाय लेखन सामग्री एवं प्रकाशन भण्डार, भोपाल को करना होगा.

3. निविदा प्रपत्र कार्यालय नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल में उपस्थित होकर रुपये 1,000/- (रुपये एक हजार केवल) नगद भुगतान कर कार्यालयीन समय में दिनांक 3 जून, 2008 को अपराह्न 4.00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं. मध्यप्रदेश शासन के वेबसाइट [www.tenders.gov.in](http://www.tenders.gov.in) पर भी टेण्डर फॉर्म एवं निविदा के अनुबन्ध का प्रारूप रखा गया है और वेबसाइट से डाउनलोड करके प्राप्त निविदा की हार्ड कॉपी कर यदि निविदा प्रस्तुत की जाती है तो प्रस्तुतीकरण के समय रुपये 1,000/- (रुपये एक हजार) का बैंक ड्राफ्ट जो नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल के नाम देय हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य है. डाक से निविदा फॉर्म मांगने के इच्छुक

No. 1317.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-Section 3 of Section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) the Madhya Pradesh Pollution Control Board, with the prior approval of the State Government, hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Pollution Control Board Service (Class IV) (Recruitment and Conditions) of Service Regulation 1996.

(1) For Schedule-1 the following of Schedule shall be substituted, namely :—

**“SCHEDULE—1”**

(See Regulation-2)

S.No.	Post included in the service	Total numbers of post	Classification	Scale of pay (Rs.)
1	2	3	4	5
1.	Laboratory Attendant	75	Class-IV	2750-70-3800-75-4400
2.	Telephone Attendant	1	Class-IV	2610-60-3150-65-3540
3.	Daftari	22	Class-IV	2610-60-3150-65-3540
4.	Peon/Chowkidar	157	Class-IV	2550-55-2660-60-3200
5.	Sweeper	12	Class-IV	2550-55-2660-60-3200

C. V. Varghese,  
Section Officer.

H. S. Verma,  
Administrative Officer.

R. K. Jain,  
Member Secretary.

(14-A-B.)

**विविध**

**आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं**

**कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, धार, जिला धार**

धार, दिनांक 23 अप्रैल, 2008

क्र./स्टेनो/2008/6430.—समस्त धार जिले में संक्रामक रोग हैजा, आंत्रशोथ, पेचिस, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर के फैलाव की सम्भावना के कारण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इस सन्दर्भित बीमारी के प्रादुर्भाव और फैलाव की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय तुरन्त किये जावें.

मैं, राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला धार, मध्यप्रदेश आपत्तिक हैजा विनियम, 1983 के नियम 3 एवं नियम 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आदेश देता हूँ कि जिला धार अगले छः माह के लिए अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है.

अधिसूचित क्षेत्र सार्वजनिक स्थानों पर बाजारों, उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों के लिए खाद्य एवं पेयजल सामग्री निर्माण करने या उसे निर्माण कर प्रदाय करने के लिए कायम रखी गई स्थापना में विक्रय या निर्मूलन वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर—

1. बासी मिठाईयां, सड़े-गले फल, सब्जियां, मछली, अण्डे, दूषित खाद्य पदार्थों के बेचने पर प्रतिबन्ध लगाये जावें.
2. कुल्फी, आईस्क्रीम, बर्फ के लड्डू, चूसने वाले पेय पदार्थ खुले बाजार में ढककर व जालीदार स्थानों पर रखे जावें, महामारी फैलने पर इसकी बिक्री पर पाबन्दी लगाई जावे.
3. नालियां, गटों, पानी के गड्ढे, मलकुण्ड, कूड़ा-करकट आदि गन्दगी को स्वच्छ रखा जावे तथा रोगाणुनाशक पदार्थ से सफाई नियमित की जावे.
4. मक्खियां, मच्छर पैदा करने वाले स्थान को स्वच्छ रखा जावे तथा खाद्य पदार्थ को दूषित होने से बचाया जा सके.

डाक व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत,  
अनुमति-पत्र, ग्वालियर सम्भाग,  
एम. पी.-19-ग्वालियर- 2008-10

पंजी. क्र. ग्वालियर डिवाजन  
एम.पी.-19-ग्वालियर-2008-10



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अगस्त 2008-श्रावण 10, शके 1930

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

#### इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7, रेसकोर्स रोड, इन्दौर-452003 (म.प्र.)

दिनांक 23 जुलाई, 2008

वि. क्र. 137.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, सन् 1973 की धारा-50 की उपधारा 2 के अधीन सर्व-साधारण की जानकारी के लिये एतद्वारा यह प्रकाशित एवं घोषित किया जाता है कि ग्राम भंवरासला, कुमेडी, नरवर, सुखलिया एवं कबीरखेड़ी जिला इन्दौर की भूमि के संबंध में इन्दौर विकास प्राधिकारी निम्नांकित उल्लेखित चतुःसीमा के क्षेत्र से संबंधित भूमि के विकास बाबद एक नगर विकास योजना बनाने का आशय रखता है। इस योजना को योजना क्रमांक-169-ए दिया गया है।

#### योजना क्रमांक-169-ए की चतुःसीमा

- |             |  |
|-------------|--|
| पूर्व में—  | गंदा तालाब रोड (मार्ग की भूमि सहित)।                     |
| पश्चिम में— | उर्जन रोड (मार्ग की भूमि सहित)।                          |
| उत्तर में—  | विकास योजना 2021 में प्रस्तावित सुपर कारीडोर की सीमा तक। |
| दक्षिण में— | विकास योजना 2021 में प्रस्तावित सुपर कारीडोर की सीमा तक। |

(55-बी.)

दिनांक 23 जुलाई, 2008

वि. क्र. 138.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, सन् 1973 की धारा-50 की उपधारा 2 के अधीन सर्व-साधारण की जानकारी के लिये एतद्वारा यह प्रकाशित एवं घोषित किया जाता है कि ग्राम नैनोद, छोटा बागंडा, बड़ा बागंडा, टिगरिया बादशाह, पालाखेड़ी, भंवरासला एवं बरदरी जिला इन्दौर की भूमि के संबंध में इन्दौर विकास प्राधिकारी निम्नांकित उल्लेखित चतुःसीमा के क्षेत्र से संबंधित भूमि के विकास बाबद

### नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, मीनेष मित्रा आत्मज स्व. एम. एन. मित्रा, उम्र 30 वर्ष, निवासी—बजरंग नगर, व्हीकल रोड, रांझी, जबलपुर, मैं अपने उक्त नाम को परिवर्तित कर मनीष मित्रा करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अधिकांश लोग मनीष मित्रा के नाम से ही जानते हैं। अतः आज दिनांक से भविष्य में मुझे मीनेष मित्रा के स्थान पर मनीष मित्रा के नाम से जाना जाये तथा समस्त पत्र व्यवहार इसी नाम से किया जावे।

पुराना नाम :

(मीनेष मित्रा)

(54-बी.)

नया नाम :

(मनीष मित्रा)

निवास—बजरंग नगर, व्हीकल रोड,  
रांझी, जबलपुर.

### मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई, 2008

### संशोधन

क्र. 2106.—मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिसूचना क्रमांक 1316, दिनांक 6 मई, 2008 के द्वारा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (तृतीय श्रेणी) (भरती तथा सेवा शर्त) विनियम 1996 की अनुसूची-1 में संशोधन किया गया है जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 16 मई, 2008 में प्रकाशित हुआ है। उसमें निम्न पदों पर वर्णित वेतनमान के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावे

“अनुसूची-क”

(विनियम-5 देखिये)

सेवा में वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान रुपये
1	2	3	4	5
प्रशासनिक एवं लेखा सेवायें—				
7.	मैकेनिक	1	तृतीय	(3500-80-4700-100-5200/-)
9.	सुपरवाइजर ग्रेड-1	1	तृतीय	(3500-80-4700-100-5200/-)
विधि सेवायें—				
1.	विधि सहायक ग्रेड-1	1	तृतीय	(5500-175-9000/-)
कम्प्यूटर सेवा—				
1.	डाटा सहायक ग्रेड-1	2	तृतीय	(5500-175-9000/-)
5.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	7	तृतीय	(3500-80-4700-100-5200/-)

(52-बी.)

Bhopal, Dated 18<sup>th</sup> July, 2008

### Amendment

S. No. 2106.—Vide Notification No. 1316 dated 6 May, 2008 of Madhya Pradesh Pollution Control Board, Madhya Pradesh Pollution Control Board Service (Class III) (Recruitment and Service Condition)

321

Rules 1996 Schedule-I has been amended, which is published in Madhya Pradesh Gazette Notification dated 16<sup>th</sup> May, 2008. In which the pay scale of following post should be read as follows :—

**“SCHEDULE-I”**

(See Clause-5)

**Classification, Scale of Pay & No. of Posts included in Services**

S.No.	Post included in service	Total no. of post	Classification	Scale of pay
1	2	3	4	5
<b>Administrative &amp; Account Service—</b>				
7.	Mechanic	01	III	3500-80-4700-100-5200/-
9.	Supervisor Grade-I	01	III	3500-80-4700-100-5200/-
<b>Legal Services—</b>				
1.	Legal Assistant Grade-I	01	III	5500-175-9000/-
<b>Computer Services—</b>				
1.	Data Assistant Grade-I	02	III	5500-175-9000/-
3.	Data Entry Operator	07	III	3500-80-4700-100-5200/-

(52A-B.)

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई, 2008

क्र. 2107.—जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6/1974) की धारा 12 की उपधारा 3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (तृतीय श्रेणी) (भरती तथा शर्तों) विनियम 1996 के अनुसूची-एक, दो, तीन एवं चार विनियम 5, 6, 8 एवं 14 में वैज्ञानिक सेवाओं में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

**अनुसूची-1**

(नियम-5 देखिये)

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान रुपये
1	2	3	4	5
<b>II-वैज्ञानिक सेवायें—</b>				
3.	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-1	25	तृतीय श्रेणी	4000-100-6000/-
4.	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2/सैम्पलर	24	तृतीय श्रेणी	3050-75-3950-80-4590/-
के स्थान पर निम्न संशोधन किया जाता है :—				
3.	प्रयोगशाला सहायक/सैम्पलर	49	तृतीय श्रेणी	4000-100-6000/-



## अनुसूची-2

(नियम-6 न देखें)

क्रमांक	पदनाम	पद संख्या	भरे जाने का प्रतिशत	
			सौधी भर्ती से	पदोन्नति से
1	2	3	4	5
II-वैज्ञानिक सेवायें—				
2.	रसायनज्ञ	71	75%	25%
3.	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-1	25	50%	50%
4.	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2/सैम्पलर	24	75%	25%
के स्थान पर निम्न संशोधन किया जाता है :—				
2.	रसायनज्ञ	71	25%	75%
3.	प्रयोगशाला सहायक/सैम्पलर	49	50%	50%

## अनुसूची-3

(नियम-8 देखिये)

क्रमांक	पदनाम	निम्नतर आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव	विभागीय चयन समिति के सदस्य
1	2	3	4	5	6
II-वैज्ञानिक सेवायें—					
2.	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-1	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. उपाधि.	तदैव
3.	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2	21 वर्ष	30 वर्ष	विज्ञान विषय से हायर सेकेन्ड्री परीक्षा तथा इलेक्ट्रानिकल में आई. टी. आई. प्रमाण-पत्र अथवा बी. एस.सी. की उपाधि.	
के स्थान पर निम्न संशोधन किया जाता है :—					
2.	प्रयोगशाला सहायक/सैम्पलर	21 वर्ष	30 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. उपाधि.	

## अनुसूची-4

(नियम-5 एवं 14 देखिये)

क्रमांक	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव	पदोन्नति समिति के सदस्य
1	2	3	4	5
II-वैज्ञानिक सेवायें—				
2.	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-1/सैम्पलर	रसायनज्ञ	एम. एस.सी. एवं तीन वर्ष/ बी.एस.सी. एवं 5 वर्ष की प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-1/सैम्पलर पद पर लगातार सेवा.	तदैव

1	2	3	4	5
3.	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-1	1. हायर सेकेण्ड्री एवं इलेक्ट्रानिक्स के प्रमाण-पत्र के साथ प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2 के पद पर 8 वर्ष की लगातार सेवाएं.	
			2. बी.एस.सी. उपाधि के साथ प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2 पद पर लगातार सेवा.	
4.	प्रयोगशाला परिचारक	प्रयोगशाला सहायक/ग्रेड-2/सैम्पलर	विज्ञान विषय से हायर सेकेण्ड्री उत्तीर्ण के साथ प्रयोगशाला परिचारक के पद पर 8 वर्ष की लगातार सेवा.	तदैव
2.	प्रयोगशाला सहायक/सैम्पलर	रसायनज्ञ	एम.एस.सी. एवं तीन वर्ष/बी.एस.सी. एवं 5 वर्ष की प्रयोगशाला सहायक/सैम्पलर पद पर लगातार सेवा.	तदैव
4.	प्रयोगशाला परिचारक	प्रयोगशाला सहायक/सैम्पलर	विज्ञान विषय से हायर सेकेण्ड्री उत्तीर्ण के साथ प्रयोगशाला परिचारक पद पर 8 वर्ष की लगातार सेवा.	

के स्थान पर निम्न संशोधन किया जाता है :-

(52 B-बी.)

Bhopal, Dated 18<sup>th</sup> July, 2008

No. 2107.— In exercise of the power conferred by Sub-Section 3 (A) of Section 12 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) the Madhya Pradesh Pollution Control Board, with the prior approval of the State Government, hereby amend the Madhya Pradesh Pollution Control Board, Services (Class-III) (Recruitment & Conditions) Regulation, 1996 in Schedule 1, 2, 3 & 4 regulation 5, 6, 8 & 14 in scientific services as follow :—

#### SCHEDULE-I

(See clause-5)

S.No.	Post included in the service	Total no. of post	Classification	Scale of pay
1	2	3	4	5
<b>II. Scientific Services—</b>				
3.	Laboratory Assistant Grade-I	25	Class-III	4000-100-6000
4.	Lab. Assistant Grade-II/ Sampler	24	Class-III	3050-75-3950-80-4590
the following shall be substituted namely :				
3.	Laboratory Assistant/ Sampler	49	Class-III	4000-100-6000

**SCHEDULE-II***[See Clause-6 (b)]*

S.No.	Name of the Service/ Post	Class	Total No. of Post	Percentage of No. of Posts to be filled in	
				By direct recruitment	By promotion to temporary member of the Service
1	2	3	4	5	6

**II. Scientific Services—**

2.	Chemist	Class-III	71	75%	25%
3.	Laboratory Assistant Grade-I	Class-III	25	50%	50%
4.	Lab. Assistant Grade-II/ Sampler	Class-III	24	75%	25%

the following shall be substituted namely :

2.	Chemist	Class-III	71	25%	75%
3.	Laboratory Assistant Grade-I/ Sampler	Class-III	49	50%	50%

**SCHEDULE-III***(See Clause-8)*

S. No.	Name of Post	Min Age Limit	Upper Age Limit	Educational Qualification Prescribed	Name of the Member of Department, Selection committee
1	2	3	4	5	6

**II. Scientific Services—**

2.	Laboratory Assistant Grade-I	21	30	B.Sc. from any recognized University.	As above
3.	Laboratory Assistant Grade-II	21	30	Higher Secondary pass from Board of Secondary Education and Certificate in Electronics from ITI or B.Sc.	As above

the following shall be substituted namely :

2.	Laboratory Assistant/Sampler	21	30	B.Sc. from any recognized University.	As above
----	---------------------------------	----	----	--	----------



**SCHEDULE—IV**

(See Clause-6 &amp; 14)

S. No.	Name of the Post from which promotion is to be	Name of the Post of which promotion to be made	Experience & Qualification required	Name of the Member of Promotion Committee
1	2	3	4	5

**II. Scientific Services—**

2.	Laboratory Assistant Grade-I	Chemist	M.Sc. Post Graduate degree with 3 years/B.Sc. Degree & 5 years continuous service as Laboratory Assistant Grade-I	As above
4.	Laboratory Attendant	Laboratory Assistant Grade-II/ Sampler	Higher Secondary Examination passed with Science subject from the Board of Secondary Education and 8 years continuous services as Laboratory Attendant.	As above
3.	Laboratory Asstt. Grade-II/ Sampler	Laboratory Assistant Grade-I	1. Passed Higher Secondary Examination & Certificate course in Electronics from ITI 8 years experience as Laboratory Assistant. Grade-II/ Sampler. 2. B. Sc. Degree and 2 years regular service as Laboratory Assistant Grade-II/ Sampler.	As above

The following shall be substituted namely :

2.	Laboratory Assistant/ Sampler	Chemist	M.Sc. Post Graduate degree with 3 years/B.Sc. Degree & 5 years continuous service as Laboratory Assistant/ Sampler.	As above
4.	Lab. Attendant/ Lab. Assistant Grade-II	Laboratory Assistant/ Sampler	Higher Secondary Examination passed with Science subject from the Board of Secondary Education and 8 years continuous services as Laboratory Attendant.	As above

By order in the name of  
M. P. Pollution Control Board.

R. K. Jain,

Member Secretary.

(52-C-B.)